अध्याय - 25

वेतन के अलावा भत्ते

(ALLOWANCES OTHER THAN PAY)

1. **गृह भाड़ा-भत्ता**

(1) किन्हें गृह भाड़ा भत्ते की पात्रता-

गृह भाड़ा भत्ता उन कर्मचारियों को मिलता है जिन्हें सरकार ने कोई मकान रहने के लिये नहीं दिया है। किराये की रसीद भी नहीं देना पड़ती है केवल निर्धारित प्ररूप पर एक घोषणा पत्र देना होता है। निजी मकान में रहने वालों को भी मकान किराया भत्ता मिलता है । पत्नी के मकान में अथवा बच्चों के मकान में या माता-पिता के मकान में रहने पर भी मकान किराया भत्ता देय है।

शासकीय सेवक यदि शासन द्वारा आवंटित मकान स्वेच्छा से इंकार कर स्वयं के मकान में रहे अथवा शासकीय सेवक यदि आवंटित सरकारी आवास को खाली कर स्वयं के मकान में रहने चला जाए तो भी गृह भाड़ा भत्ते का वह हकदार होगा । स्वयं के मकान के बजाय किराये के आवास में भी रहना चाहे तो रह सकता है, उसे भी मकान किराया भत्ते की पात्रता होगी। किन्तु यह सुविधा उन्हें उपलब्ध नहीं होगी जिन्हें नियमानुसार निःशुल्क आवास की पात्रता है और उन्हें ऐसा आवास उपलब्ध कराया गया है। यदि शासन उन्हें ऐसा आवास उपलब्ध नहीं करा पाता है तो ही उन्हें गृह भाड़ा भत्ते की पात्रता होगी।

इसी प्रकार यदि किसी कर्मचारी को सरकारी आवास ear-marked है (किराया रहित अथवा किराया सहित) और वह उसे आवंटित किया जाता है तो उसे वह आवास गृह अनिवार्यतः लेना होगा अन्यथा उसे किसी प्रकार के गृह भाड़ा भते की पात्रता नहीं होगी।

(2) किन्हें पात्रता नहीं-

(i) ऐसे सभी शासकीय सेवक जिन्हें बाजार दर पर आकस्मिकता से वेतन प्राप्त होता है।

(ii) समस्त अस्थाई सेवक जिनका वेतन चालू बाजार दर पर निर्धारित होता है।

(iii) ऐसे सभी शासकीय सेवक जो अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ हैं, तथा वहां स्वीकृत दरों पर गृह भाड़ा भत्ता प्राप्त कर रहे हैं।

(iv) यह भत्ता उन्हें देय नहीं होगा, जिन्हें भाड़ा मुक्त आवास की सुविधा उपलब्ध की गई है अथवा ऐसी सुविधा के बदले मकान किराया भत्ता दिया जाता है (जैसे पुलिस विभाग में)।

(v) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी ।

(3) **वेतन से आशय** – वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 में प्राप्त पे बैंड + ग्रेड पे का योग ।

(4) **अन्य शर्तें-**

(i) यह भत्ता बिना किराये की रसीद प्रस्तुत किये देय होगा।

(ii) यह भत्ता केवल उन्हें ही देय होगा जो उसी शहर या कस्बे में रह रहे हैं, जहां उनका कार्यालय अवस्थित है।

(5) **अवकाश काल में भत्ते की पात्रता-**

(i) असाधारण अवकाश को छोड़कर सभी प्रकार के अवकाश काल के दौरान यह भत्ता आहरित किया जा सकता है।

(ii) अवकाश कांल में यह अवकाश वेतन की दर पर आधारित होगा ।

(6) **निलंबन काल में भत्ते की पात्रता-**

(i) निलंबन काल में इसका नियमन मूल नियम 53 (1) (b) के अनुसार किया जायगा।

(ii) यदि सक्षम अधिकारी के द्वारा लोक हित में किसी शासकीय सेवक का मुख्यालय निलंबन अवधि में बदल दिया जाता है तो नये मुख्यालय पर वहां की दर से देय होगा, बशर्ते वह वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे ।

(7) **नव नियुक्त या सेवा से हटने वाले कर्मचारियों के मामले में** – उन व्यक्तियों के मामले में जहां कोई किसी माह के दौरान नियुक्त किया गया है, सेवा से निकाल दिया गया है या जिसने त्याग-पत्र दे दिया है, तो गृह भाड़ा भत्ते की पात्रता उतने दिनों के लिए ही होगी जितने दिन उसने कार्य किया है।

(8) **स्थानान्तरण के मामले में** – व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण पर आये हैं उपस्थिति दिनांक से या पद का भार त्यागने के दिनांक तक पात्रतानुसार भत्ते के पात्र होंगे ।

(9) **एक ही माह में भिन्न दर पर वेतन होने पर भत्ते की गणना** – यदि कोई किसी माह में भिन्न दरों से वेतन प्राप्त करता है तो भते की पात्रता वेतन के दर पर आधारित होगी अर्थात् जिस दर से जितने दिन का वेतन लिया उस वेतन की दर पर भत्ता मिलेगा ।

(10) **परिवार में एक से अधिक सदस्य होने की स्थिति में** -

(i) यदि परिवार के एक से अधिक सदस्य (उदाहरणार्थ पति, पत्नी, पुत्र, साली इत्यादि) शासकीय सेवक हैं तथा एक ही मकान में रहते हैं। चाहे वह किराये पर लिया गया हो या स्वयं का हो, गृह भाड़ा भत्ता उनमें से केवल एक को ही देय होगा। यदि मकान किराये पर लिया गया है तो

भत्ता उसी को मिलेगा जिसने मकान को किराये पर लिया है, तथा स्वयं के मकान के बारे में भवन के स्वामी को । यदि मकान को परिवार के ऐसे सदस्य के द्वारा किराये पर लिया गया है जो शासकीय सेवक नहीं है तो किसी को भत्ते की पात्रता नहीं होगी। यदि भवन का स्वामी परिवार का ऐसा सदस्य है जो शासकीय सेवा में नहीं है तो किराया किसी भी शासकीय सेवक के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

(ii) जहां परिवार के एक से अधिक सदस्य जो कि सभी शासकीय सेवक हैं, उस मकान में एक साथ रहते हैं जिसे सभी ने मिलकर अधिगृहीत किया है, गृह भाड़ा भत्ता किसी एक के द्वारा लिया जा सकता है।

(iii) एक ही परिवार के सदस्य जो एक साथ एक ही मकान में रहते हैं, उनमें से कोई एक शासकीय सेवक हो तथा दूसरा कोई शासकीय संस्था/संघ/निगम/मंडल/बैंक कर्मचारी है, तो उनमें से किसी एक को ही भत्ते की पात्रता होगी।

(11) **पुनर्नियुक्त पेंशनभोगी के मामले में** -

(i) पुनर्नियुक्त पेंशनभोगी के मामले में जिसे वेतन के साथ-साथ पेंशन आहरित करने की अनुमति है, इस भत्ते का पात्र होगा। ऐसे सभी मामलों में भते की गणना निम्नानुसार रीति से की जावेगी:-

(अ) भत्ते की गणना वेतन. पेंशन पर की जायगी ।

(ब) इस गणना के प्रयोजनार्थ पेंशन संराशिकरण के पूर्व की पेंशन ली जायगी। यदि पुनर्नियुक्ति की शर्तो के मुताबिक पेंशन के किसी अंश को स्थगित किया गया है तो वह कम होगा।

(ii) कोई शासकीय सेवक जो किसी विदेशी सरकार (बर्मा, सीलोन, पाकिस्तान) से राज्य सरकार से प्राप्त वेतन के अलावा पेंशन प्राप्त कर रहा है, वह राज्य सरकार से केवल वेतन के आधार पर भत्ता प्राप्त करेगा ।

(12) **स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी** - जिनका वेतन स्थापना वेतन देयकों पर आहरित होता है आहरण एवं संवितरण अधिकारी (दोनों के लिए चाहे राजपत्रित हो या अराजपत्रित)।

(13) **स्वीकृति की प्रक्रिया** - जो किराये के मकान में रह रहे हैं, वे प्रपत्र - ''अ'' पर तथा जो स्वयं के मकान में रह रहे हैं वे प्रपत्र- ''ब'' में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करें।

(14) **भुगतान की विधि** - यह भत्ता प्रत्येक माह वेतन के साथ निकाला जाता है।

(15) **भते की दरें** - दिनांक 1 जनवरी, 2010 से निम्नानुसार दरें निर्धारित की गई हैं। यह दरे छतीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 52/38/2010/वि/नि/चार, दिनांक 22-2-2010 द्वारा घोषित की गई हैं :-

क्र.	नगरों का वर्गीकरण	नगरों का नाम	गृह भाड़ा भत्ते की दर
1.	बी-2 श्रेणी	रायपुर, दुर्ग-भिलाई नगर	10 प्रतिशत
2.	सी श्रेणी	बिलासपुर, कोरबा, राजनान्दगांव, जगदलपुर, रायगढ़, चिरमिरी, दल्ली-राजहरा, अम्बिकापुर, धमतरी, भाटापारा, चांपा जांजगीर	7 प्रतिशत
3.	अन्य क्षेत्र	-	1[7 प्रतिशत]
4.	दिल्ली स्थित राज्य शासन के कार्यालय	-	30 प्रतिशत

टिप्पणी- 1. गृह भाड़ा भत्ते की गणना के लिए मूल वेतन से तात्पर्य नवीन पुनरीक्षित वेतनमान, 2009 में प्राप्त मूल वेतन से है। नगर की सीमा वर्ष 2001 की जनगणना की मान्य किया जाए।

2. ये आदेश कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे।

टीप- 1. गृह भाड़ा भत्ते की गणना के लिए ''मूल वेतन'' से तात्पर्य नवीन पुनरीक्षित वेतनमान, 2009 में प्राप्त मूल वेतन (वेतन बैंड में वेतन + ग्रेड पे) से है।

2. छ .गए वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के अन्तर्गत विद्यमान वेतनमान में बने रहने का विकल्प देने वाले कर्मचारियों को भी उपर्युक्त गृह भाड़ा भत्ते की पात्रता निर्धारित प्रतिबंधों एवं शर्तों के अधीन होगी। इन कर्मचारियों के लिये गृह भाड़ा भत्ते की गणना के लिये वेतन के प्रयोजन के लिये विद्यमान वेतनमान में मूल वेतन व वैयक्तिक वेतन (यदि हो तो) को 2.26 के गुणक से गुणा करने से प्राप्त राशि होगी।

नया रायपुर क्षेत्र में निवास करने वाले कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ता मूल वेतन का 30 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता या भवन का वास्तविक किराया जो भी कम हो स्वीकृत किया जाएगा। यह भत्ता नया रायपुर क्षेत्र की आवासीय कालोनियों में किराये का मकान लेकर निवास करते हैं, उन्हें भी मूल वेतन का 30 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता या भवन का वास्तविक किराया, जो भी कम हो, प्राप्त होगा। यह सुविधा 31-10-2019 तक प्राप्त होगी रहेगी।

[वित्त एवं योजना विभाग क्र. 278/एल-2014-32-00122/वि/नि/चार, दिनांक 28-6-2014]

2. वाहन भत्ता

(i) मध्यप्रदेश राज्य परिवहन निगम के विघटन के फलस्वरूप दिनांक 1-8-2003 से मंत्रालयीन कर्मचारियों की उपलब्ध बस सुविधा बन्द करने का निर्णय लिया गया इसलिए छत्तीसगढ़ मंत्रालय में पदस्थ समस्त तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों तथा सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से मंत्रालय में संलग्न तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 1-8-2003 से रु. 100/- प्रतिमाह की दर से वाहन भत्ता स्वीकृत।

[वित्त एवं योजना विभाग क्र. 592/19/वि/नि/चार/2003, दिनांक 28-7-2003]

(ii) राज्य शासन ने आदेशित किया है कि उक्त वाहन भत्ता मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी एवं निज सचिवों को भी स्वीकृत किया जावे ।

[वित्त एवं योजना विभाग क्रमांक 128/928/वि/नि/चार/2004, दिनांक 13-2-2004]

(iii) राज्य सरकार के आदेशानुसार राज्य परिवहन निगम के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पूर्व कर्मचारी जो छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम से मंत्रालय स्थापना में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं, उन्हें भी रू. 100 (एक सौ) रुपये प्रतिमाह की दर से वाहन भत्ता देय है। यह भत्ता आदेश दिनांक से देय होगा ।

[वित्त एवं योजना विभाग क्रमांक 37/1005/वि/नि/2004, दिनांक 28-1-2005]

3. लेखा प्रशिक्षण में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को सम्पूरक भत्ता

रुपये 100 प्रतिमाह, यह दर दिनांक 14-10-82 से प्रभावशील है।

[वित्त विभाग क्रमांक 11-9-82 नि-2/चार, दिनांक 18-1-1983]

4. विकलांग वाहन भत्ता

1. कार्यभारित/नियमित स्थापना में कार्यरत दृष्टिहीन, मूक बधिर, मानसिक रूप से अविकसित अस्थिबाधित या समय-समय पर विकलांग की श्रेणी में शामिल अन्य विकलांगों को अपने कार्यस्थल पर आने तथा जाने के लिए आमतौर से शारीरिक सहायता की आवश्यकता होती है। राज्य शासन ने ऐसे विकलांग कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 5% अर्थात् न्यूनतम रु. 300/- और अधिकतम रु. 500/- विकलांग वाहन भत्ता निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत है -

(1) यह भत्ता अन्य भत्तों के अतिरिक्त देय होगा।

(2) शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों को वाहन भत्तें की पात्रता तभी होगी जब उनके शरीर के ऊपरी या निचले दोनों भाग वाले अंगों में विकृतियां न्यूनतम 40% स्थायी/ आंशिक समर्थता के साथ हों।

(3) शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी को वाहन भत्ता जिले के सिविल सर्जन के प्रमाण-पत्र के आधार पर स्वीकार्य होगा।

(4) दृष्टिहीन कर्मचारी के मामले में भी यह भत्ता जिले के सिविल सर्जन के प्रमाण-पत्र के आधार पर स्वीकार्य होगा ।

(5) यह भत्ता अवकाश (आकस्मिक अवकाश को छोड़कर)/कार्यग्रहण काल तथा निलम्बन काल में देय नहीं होगा ।

(6) यह भत्ता पुनरीक्षित वेतनमान, 2009 में आहरण करने वाले कर्मचारियों को दिनांक 1-9-2010 से देय होगा ।

2. वाहन भत्ते का भुगतान पात्र कर्मचारियों को उन्हीं कार्यालयों द्वारा किया जावेगा जहां कि ऐसे कर्मचारी कार्यरत हैं और इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय की पूर्ति सम्बन्धित कार्यालय की स्थापना में व्यय के मद से उसी प्रकार की जायगी जैसे कि सामान्य वाहन भत्ते पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है।

[समाज कल्याण विभाग क्रमांक 977/116/2010/सक/26, दिनांक 16-9-2010]

5. **चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी धुलाई भत्ता**

छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3-21/दो-गृह/02, दिनांक 19 सितम्बर, 2006 द्वारा कार्यालय में नियमित रूप से वर्दी पहनकर आने की शर्त पर 50/- रुपये प्रतिमाह की दर से धुलाई भत्ता मंजूर किया गया है।

6. **पटवारियों को स्टेशनरी भत्ता**

रुपये 250/- प्रतिमाह दिनांक 27 मार्च, 2012 से लागू ।

[वित्त विभाग क्रमांक 88/एफ-2095/12/वित्त/नियम/चार, दिनांक 27-3-2012]

7. **पटवारियों को अपने पदस्थापना हल्के के अतिरिक्त अन्य हल्के का कार्य सम्पादन हेतु विशेष भत्ता**

रुपये 250/- (रुपये दो सौ पचास) प्रतिमाह ।

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग क्रमांक एफ-1-124/2011/सात-4, दिनांक 17-7-2012]

8. **सायकिल भत्ता**

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग ने अपने आदेश क्रमांक डी- 305/910/89/नि-1/चार, दिनांक 1 अगस्त, 1989 द्वारा कार्यभारित एवं आकस्मिकता मद से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की रु. 12/प्रतिमाह की दर से सायकिल भत्ता स्वीकार किया है। वर्तमान में यह दर रु. 4/- प्रतिमाह थी, जिसे बढ़ाकर 12/- कर दिया गया है। यह बढ़ी हुई दर आदेश प्रसारित होने के दिनांक से प्रभावशील हो गई है।

9. **फोटो कापियर मशीनों का संचालन करने वाले कर्मचारी को विशेष वेतन**

इस संबंध में राज्य शासन ने पूर्व आदेश क्रमांक सी-2039/आर 35102नि-6/चार/89, दिनांक 7-8-1989 को निरस्त करते हुए निम्न संशोधित आदेश जारी किये हैं :-

1. फोटो कापियर मशीन किसी वरिष्ठ अधिकारी के कक्ष में ही लगाई जाय ।
2. मशीन की देखभाल का जिम्मा किसी योग्य नि . श्रे. लि .या इसके समतुल्य अथवा उच्च पद वाले कर्मचारियों को ही दिया जाए ।
3. देखभाल करने वाले कर्मचारी की रु. 150 प्रतिमाह का पारिश्रमिक दिया जाय । यदि दो कर्मचारियों की मशीन की जिम्मेदारी दी जाती है तो दोनों कर्मचारियों में से प्रत्येक को रु. 75/- प्र .मा का पारिश्रमिक दिया जाय ।

4. मशीन के संचालन का कार्य संबंधित कंपनी से उक्त कर्मचारी/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलवाकर ही सौंपा जाय।
5. मशीन खराब रहने की अवधि के दौरान पारिश्रमिक देय नहीं होगा।
6. आकस्मिक अवकाश को छोड़कर संबंधित कर्मचारी द्वारा लिये गये अर्जित या अन्य प्रकार के नियमित अवकाश की अवधि में यह पारिश्रमिक देय नहीं होगा।
7. अगर मशीन निर्देश क्रमांक 1 के विपरीत कहीं और पाई गई है तो पारिश्रमिक देय नहीं होगा ।
8. कार्यालय प्रमुख को यह अधिकार होगा कि वह इस मार्गदर्शी नीति के तहत किसी भी कर्मचारी/कर्मचारियों की मशीन का काम सौंपे लेकिन दो से अधिक कर्मचारियों को एक मशीन की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जायगी और न ही किसी एक कर्मचारी को एक से अधिक मशीन की पूरी या संयुक्त जिम्मेदारी सौंपी जावेगी।
9. संबंधित कर्मचारी/कर्मचारियों को निर्धारित दर से पारिश्रमिक देने के लिए कार्यालय प्रमुख सक्षम होगे और इस बाबत उनके द्वारा लिखित आदेश प्रसारित किया जायगा।
10. रिसोग्राफी मशीन के संचालन और रख-रखाव के लिये भी यह प्रतिबंध लागू होगा। इलेक्ट्रानिक टाइपरायटर, फैक्स मशीन के संचालन/रख-रखाव और पर्सनल कम्प्यूटर में डेटा एन्ट्री इत्यादि के लिए पारिश्रमिक देय नहीं होगा।
11. यह निर्देश दिनांक 1 जुलाई, 1995 से लागू होगे ।

[वित्त विभाग क्रमांक जी-25/27/95//सी/चार, दिनांक 10 जुलाई, 1995]

यदि मशीन का संचालन कार्य कार्यालय के दफ्तरी को सौंपा जाता है तो उसे भी उपरोक्तानुसार पारिश्रमिक की पात्रता होगी।

[वित्त एवं योजना विभाग क्र. 101/एफ-2013-01-00210/वि/नि/चार, दिनांक 28 फरवरी, 2014]

10. सचिवालयीन कर्मचारियों/अधिकारियों को देय सचिवालय भत्ता (दिनांक 1-1-2007 से लागू)

	पदनाम	रु. प्र, मा.
1.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	रु. 150/-
2.	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	
	1. सहायक ग्रेड-3 एवं समकक्ष	रु. 200/-
	2. सहायक ग्रेड-2 एवं समकक्ष	रु. 200/-
	3. सहायक ग्रेड-1 एवं समकक्ष तथा निज सहायक	रु. 225/-
	4. स्टेनो टायपिस्ट तथा अन्य समकक्ष कर्मचारी	रु. 200/-
	5. राजपत्रित अधिकारी/अनुभाग अधिकारी/निज सचिव	रु. 275/

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ 6-1/2003/1-8, दिनांक 28-12-2006]

11. छत्तीसगढ़ मंत्रालय में संलग्न कर्मचारियों को सचिवालय भत्ता

(1) मंत्रालय में अन्य विभागों के संलग्न कर्मचारियों को मंत्रालयीन अधिकारियों / कर्मचारियों के समान सचिवालय भत्ता आदेश जारी होने के दिनांक से निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत किया गया है -

(i) यह भत्ता उनके पैतृक कार्यालयों से, जहां से उनका वेतन निकाला जाता है, जहां से वेतन के साथ ही आहरित होगा ।

(ii) जिनका संलग्नीकरण सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति/आदेश से किया गया है। यह उन्हीं को देय होगा,

(iii) जब तक वे मंत्रालय में संलग्न रहेंगे तब तक आदेश दिनांक से देय होगा ।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ 6-46/2004/1-8, दिनांक 29-6-2005]

(2) छत्तीसगढ़ मंत्रालय में संलग्न शासकीय अधिकारियों को तथा जिन्हें पदेन विशेष सचिव संयुक्त सचिव, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अवर सचिव) आदि घोषित किया गया है उन्हें उनके समकक्ष मंत्रालयीन अधिकारियों के समान विशेष वेतन निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत किया गया है -

(i) इन अधिकारियों को विशेष वेतन उनके पैतृक कार्यालयों से आहरित होगा, जहां से इनका वेतन आहरित हो रहा है।

(ii) उन्हीं संलग्न / पदेन अधिकारियों को विशेष वेतन की पात्रता होगी, जिनका संलग्नीकरण सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति / आदेश से किया गया है।

(iii) मंत्रालय में संलग्न / पदेन अधिकारियों को जब तक वे मंत्रालय में संलग्न रहेंगे, तब तव विशेष वेतन, इस आदेश के जारी होने के दिनांक से नीचे दर्शाये तालिका के अनुसार देय होगा

स क्र.	पदनाम	वेतनमान	विशेष वेतन
1	2	3	4
1.	विशेष सचिव	15100-18300	800/-
2.	उप सचिव/संयुक्त सचिव	12000-16500	600/-
3.	अवर सचिव/स्टाफ आफिसर	10000-15200	500/-
4.	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अवर सचिव स्तर)	8000 13500	400/-

2. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यूओ क्रमांक 15/वि/नि/चार/2006, दिनांक 09-01-2006 द्वारा दी गई सहमति से अनुसार प्रदान की जाती है।

[सामान्य प्रशासन विभाग आदेश क्र एफ 6-46/2005/1-8, दिनांक 4-2-2006]

12. नया रायपुर स्थित मंत्रालय / विभागाध्यक्ष कार्यालय के कर्मचारियों एवं नया रायपुर में निवासरत कर्मचारियों को नि:शुल्क बस पास सुविधा / वाहन भत्ता के संबंध में।

संदर्भ- वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 303/सी-15388/वित्त/नियम/चार/2007, दिनांक 23-10-2007 एवं ज्ञापन क्रमांक 248/एल 2013-01-00151/वि/नि/चार, दिनांक 2 जून, 2014.

वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 23-10-2007 के अनुसार राज्य के बी-2 श्रेणी के नगरों में स्थित शासकीय कार्यालयों के समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के नियमित कर्मचारियों तथा आकस्मिकता सेवा के सदस्यों को 100 रुपये प्रतिमाह की दर से वाहन भत्ता देय है। उक्त भत्ता की पात्रता नया रायपुर स्थित मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय के कर्मचारियों को भी है।

2. वित विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 02-06-2014 द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जब तक रायपुर शहर से नया रायपुर स्थित मंत्रालय/विभागाध्यक्ष कार्यालय के कर्मचारियों को नि:शुल्कं बस सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, तब तक ऐसे कर्मचारियों को वाहन भत्ता की पात्रता नहीं होगी। नया रायपुर में निवासरत कर्मचारियों को नि:शुल्क बस सुविधा अथवा वाहन भत्ता दोनों में से किसी एक को चयन करने का विकल्प देना होगा । विकल्प न देने की स्थिति में माना जाएगा कि उनके द्वारा नि:शुल्क बस सुविधा का चयन किया गया है तथा उन्हें वाहन भत्ता का पात्रता नहीं होगी।

3. अत: वित्त विभाग के उपरोक्त निर्देशों के तहत नया रायपुर स्थित मंत्रालय में आपके विभाग के कर्मचारियों से तथा विभागाध्यक्षों द्वारा उनके कार्यालय के कर्मचारियों से संलग्न प्रारूप में विकल्प 30-06-2014 तक प्राप्त कर, संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

4. संबंधित कार्यालय के आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा कर्मचारियों के विकल्प के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे । जो कर्मचारी वाहन भत्ता हेतु विकल्प देंगे उन्हें उनका नि:शुल्क बस पास आहरण एवं संवितरण अधिकारी के पास जमा करना होगा। संलग्न-विकल्प का प्रारूप ।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ-7-06/2014/1-6, दिनांक 18-06-2014]

विकल्प

मैं......................., राज्य शासन द्वारा रायपुर शहर से नया रायपुर तक मंत्रालय/विभागाध्यक्ष कार्यालय आने-जाने हेतु उपलब्ध कराई जा रही नि:शुल्क बस सुविधा का चयन करता/करती हूं।

मैं.................. वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 303/सी-15388/वित्त/नियम/चार/2007, दिनांक 23-10-2007 द्वारा स्वीकृत वाहन भत्ता का चयन करता/करती हूं ।

हस्ताक्षर

नाम ....

पदनाम ....

स्थान: .... कार्यालय जिसमें नियोजित है ....

दिनांक : ....

(जो लागू न हो उसे काट दीजिए)

13. **शीघ्रलेखकों को द्विभाषी भत्ता**

समस्त विभागों की स्थापनाओं के द्विभाषी शीघ्रलेखकों को जो हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के शीघ्रलेखन में नियमानुसार निर्धारित अर्हता रखते हैं और द्विभाषी शीघ्रलेखक के रूप में उनसे कार्य लिया जाता है तो उन्हें रुपये 375/- प्रतिमाह द्विभाषी भत्ता स्वीकृत किया जाये ।

यह दर दिनांक 1-4-1995 से प्रभावशील है।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ 4-1/ वे.आ.प्र. /95, दिनांक 18/27-7-1995]

14. **महंगाई भत्ते की पात्रता**

(1) **अवकाश अवधि में-** अवकाश अवधि में महंगाई भत्ते की पात्रता होगी, चाहे ऐसा अवकाश भारत में या भारत के बाहर व्यतीत किया जा रहा हो । लेकिन असाधारण अवकाश के दौरान महंगाई भत्ते की पात्रता नहीं होगी, क्योंकि इस अवधि में कोई वेतन प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार अवकाश अवधि में जो अवकाश वेतन होगा उसी के आधार पर महंगाई भत्ता प्राप्त होगा। यदि अर्ध वेतन अवकाश है तो अर्ध वेतन वेतन पर जो महंगाई भत्ता संगणित होगा वह मिलेगा। पूर्ण महंगाई भत्ते को आधा नहीं किया जायगा।

(2) **निलंबन काल में-** महंगाई भत्ते की पात्रता होगी। गणना निर्वाह भत्ते की बढ़ी हुई राशि पर या कम की गई दर के आधार पर की जायेगी।

[मूल नियम 53 (1) (i) (बी)]

(3) **कार्यग्रहण काल में-** कार्यग्रहण काल में जो वेतन प्राप्त होगा, उस आधार पर महंगाई भत्ते की पात्रता होगी।

(4) **भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति अवधि में-** यदि ऐसी अवधि 6 माह से अधिक नहीं है तो वही वेतन एवं महंगाई भत्ता प्राप्त होगा जो ऐसी प्रतिनियुक्ति पर प्रस्थान नहीं किया गया होता तो प्राप्त होता । 6 माह से अधिक अवधि में भी दिया जा सकता है, यदि उसने एक से अधिक देशों में काम किया हो लेकिन एक ही देश में 6 माह से अधिक नहीं ठहरा हो ।

(5) **बाह्य सेवा के दौरान-** इस अवधि में शासकीय सेवक बाह्य सेवा के आधार पर बाह्य ' नियोजक से वेतन के आधार पर महंगाई भत्ता प्राप्त करेगा। लेकिन वह उससे अधिक नहीं होगा जो एक शासकीय सेवक को ग्राह्य है। (6) माह के मध्य किसी दिनांक को सेवा में नियुक्त होने पर, सेवा से निकाले जाने पर या त्यागपत्र देने पर महंगाई भत्ते की गणना- जितने दिनों का वेतन दिया जायगा उतने दिनों का महंगाई भत्ता दिया जायेगा । दर पूरे माह की ध्यान में रखी जायेगी।

(7) **एक ही माह में वेतन की दर अलग-अलग होने पर-** महंगाई भत्ता टुकड़ों में निर्धारित किया जायगा अर्थात् जितने दिन का वेतन जिस दर से दिया जा रहा है उस पर जो महंगाई भत्ते की दर आये, वह प्राप्त होगा ।

(8) **यदि पति/पत्नी दोनों शासकीय सेवक हो-** तो महंगाई भत्ता दोनों को ही पृथक्-पृथक् उनके वेतन के आधार पर प्राप्त होगा ।

(9) **पुनर्नियुक्त शासकीय सेवक-** जो वेतन के साथ-साथ पेंशन प्राप्त करते रहेंगे, उनके मामले में पेंशन पर राहत की पात्रता उन्हें नहीं होगी। वे वेतन + पेंशन के योग पर पुनर्नियुक्ति के दौरान महंगाई भत्ता प्राप्त करेंगे । यदि वेतन + पेंशन का योग वेतनमान के अधिकतम से अधिक हो जाए तो महंगाई भत्ता अधिकतम पर ही गणना किया जायगा ।

(10) **महंगाई भत्ता वेतन पर संगणित किया जाता है।** इसकी दर राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाती है। वेतन से आशय मूल वेतन, विशेष वेतन तथा व्यक्तिगत वेतन होगा। जैसा कि मूल नियम 9 (21) में परिभाषित है।

[वित्त विभाग क्रमांक 1264/1679/चार/आर-11, दिनांक 8-7-1957]

(11) **महंगाई भत्ते की दरें-** (i) छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 1998 में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता-

अवधि जब से देय	महंगाई भत्ते की दर (प्रतिशत)	
1- 7 2000	मूल वेतन का	41%
1- 1-2001	मूल वेतन का	43%
1- 7 2001	"	45%
1- 1 2002	"	49%
1-10-2003	"	52%
1-1 2004	"	55%
1-10-2004	"	59%
1-4 2005	"	61%
1-1-2006	"	64%
1-4 2006		71%
1-4 2007	मूल वेतन + महंगाई वेतन का	24%

टीपः दिनांक 1-4-2007 से 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता महंगाई राहत में परिवर्तित।

1 -5 2007	मूल वेतन तथा महंगाई वेतन का 29%	
1-10-2007	"	35%
1-4 2008	"	41%
1- 7 2008	"	47%
1- 1 2009	"	54%
1-10-2009	"	64%
1-4 2010	"	73%
1-10-2010	"	87%
1-4 2011	"	103%
1-10-2011	"	115%
1-4 2012	"	127%
1- 7 2012	"	139%

1-11-2012	"	151%	
1-1-2013	"	166%	
1-7 2013	"	183%	क्र.543/F-2013-04-00188/वि/नि/चार, दिनांक 31-12-2013
1-1 2014	"	200%	क्र. 231/F-2013-04/00188/वि/नि/चार, दिनांक 24-5-2014
1-7-2014	"	212%	क्र.25/एफ-2013-04-00188 /वित्त / नि./चार दिनांक 6.2.2015
1-1-2015	"	223%	क्र.184/एफ-2013-04-00416 /वित्त / नि./चार दिनांक 11.6.2015
1-7-2015	"	234%	क्र.03/एफ-2013-04-00416 /वित्त / नि./चार दिनांक 11.6.2016
1-1-2016	"	245%	क्र.257/एफ-2013-04-00416 /वित्त / नि./चार दिनांक 8.7.2016

(ii) दिनांक 1 जनवरी, 2006 से लागू छठवें केन्द्रीय वेतन ढांचे में देय महंगाई भत्ते की दरें-

तिथि जब से देय	पे बैंड में वेतन तथा ग्रेड पे के योग का	आदेश क्रमांक/दिनांक
1-1 2007	2%	74/वित्त/नियम/चार/09 · दिनांक 24 मार्च, 2009
1- 7 2007	6%	
1-1 2008	9%	
1-1 2008	12%	
1 1 2009	16%	
1-10-2009	22%	317/301/वि/नि/चार, दिनांक 13-10-2009

तिथि जब से देय	पे बैंड में वेतन तथा ग्रेड पे के योग का	आदेश क्रमांक/दिनांक
1-4 2010	27%	96/754/वित्त/नियम/ चार/2010, दिनांक 20-4-2010
1-10-2010	35%	318/754/वित्त/नियम/चार /2010, दिनांक 6-10-2010
1-4 2011	45%	95/293/वित्त/नियम/ चार /2011, दिनांक 30-3-2011

1-10-2011	51%	326/171/11/वित्त/नियम/चार, दिनांक 5-10-2011
1-4 2012	58%	107/12/वित्त/नियम/चार, दिनांक 7-4-2012
1-7 2012	65%	210/एफ-1001349/वि/नि/चार, दिनांक 10-7-2012
1-11-2012	72%	333/एफ-1001319/वि/नि/चार, दिनांक 26-10-2012
1-1-2013	80%	156/एफ-2013-04/00085/वि/ नि/ चार, दिनांक 8-5-2013
1-7 2013	90%	430/एफ-2013-04/00416/वित्त नियम/चार, दिनांक 28-09-2013
1-1-2014	100%	178/एफ-2013-04/00416/वित्त/ नियम/चार, दिनांक 25-04-2014
1-7-2014	107%	403/एफ-2013-04/00416/वित्त/ नियम/चार, दिनांक 4-10-2014 सहपठित क्र488/,F-13.04.00416 /वित्त/नि/चार दिनांक 16.12.2014
1-1-2015	113%	क्र155/एफ-2013-04/00416/वित्त/ नियम/चार, दिनांक 26-5-2015
1-7-2015	119%	क्र. 347/एफ-2013-04/00416/वि/ नि/चार, दिनांक 4-11-2015
1.1.2016	125%	क्र. 138/एफ-2013-04-00416 वि./नि/चार दिनांक 23.4.2016

वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के तहत पुनरीक्षित वेतन में मंहगाई भत्ते की दरें

1.7.2016	2%	क्रमांक 478/एल-2017-71-00630 /वि/नि/चार दिनांक 24.11.2017
1.1.2017	4%	क्रमांक 478/एल-2017-71-00630 /वि/नि/चार दिनांक 24.11.2017
1.7.2017	5%	क्रमांक 253/एफ-2013-04-00416 /वि/नि/चार दिनांक 29.5.2018
1.1.2018	7%	क्रमांक 132/एफ-2013-04-00416 /वि/नि/चार दिनांक 8.3.2019
1.7.2018	9%	क्रमांक 132/एफ-2013-04-00416 /वि/नि/चार दिनांक 8.3.2019

15. चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता

राज्य सरकार ने तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सभी कर्मचारियों के लिए दिनांक 1-10-2008 से वैकल्पिक व्यवस्था स्वीकृत की है। इस व्यवस्था के तहत यदि कोई तृतीय या चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी बाह्य रोगी के रूप में कराये गये इलाज के बदले मासिक एक निश्चित राशि रुपये 100/- प्रतिमाह लेना चाहता है, तो आदेश दिनांक से दो माह के भीतर इस आशय का विकल्प निर्धारित प्ररूप पर अपने कार्यालय प्रमुख की प्रस्तुत करे । यदि कोई विकल्प नहीं देता है तो यह माना जाएगा उसने पूर्व सुविधा में बने रहने का चयन किया है। इस नई सुविधा का लाभ उठाने के बावजूद भी इनडोर पेशेंट के रूप में इलाज कराये जाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति की वर्तमान सुविधा मिलती रहेगी केवल बाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार की प्रतिपूर्ति नहीं होगी। एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा ।

[वित्त एवं योजना विभाग क्रमांक 210/277/वित्त/नियम/चार/2008, दिनांक 1-10-2008]

चिकित्सा भत्ते की दर में वृद्धि

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 213/एल-1000903/12/वित्त/नियम/चार, दिनांक 13 जुलाई, 2012 के द्वारा भत्ते की दर को दिनांक 13 जुलाई 2012 से 200/- रुपये प्रतिमाह किया गया तथा नया विकल्प देने या पूर्व में दिये गये विकल्प को परिवर्तित करने का समय दिनांक 30-09-2012 तक बढ़ाया गया है।

विषय:- तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता सुविधा।

संदर्भ:- वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 210/277/वित्त/नियम/चार, 2008, दिनांक 1.10. 2008 वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 119/217/11/वित्त/नियम/चार, दिनांक 29.04. 2011 वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 213/एफ-1000903/12/वित्त/नियम/चार, दिनांक 13.07.2012 वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. 524/एफ-2013-21-00192/वित्त/नियम/चार, दिनांक20.12.2013 वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 145/एफ-2015-21-00650/वित्त /नियम/चार,दिनांक14.5.2015

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक दिनांक 14 मई, 2015 द्वारा राज्य के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारिचों को स्वयं एवं परिवार के सदस्यों के बाहय रोगी के रूप कराये गये उपचार के एवज में चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियम के अंतर्गत देय प्रतिपूर्ति के स्थान पर विकल्प के आधार पर रूपये 200/- प्रतिमाह की दर से चिकित्सा भत्ता स्वीकृत करने संबंधी आदेश जारी किया गया है तथा चिकित्सा भत्ता सुविधा के लिए एकबार पुनः विकल्प देने या पूर्व में दिया गया विकल्प परिवर्तन करने हेतु दिनांक 31 जुलाई, 2015 तक अंतिम अवसर दिया गया था।

2/ विभिन्न विभागों एवं कर्मचारी संघों द्वारा चिकित्सा भत्ता सुविधा हेतु विकल्प परिवर्तन के लिए एक और अवसर देने की माग की जा रही है। राज्य शासन द्वारा प्रकरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचारोरांत निर्णय लिया गया है कि राज्य के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी

कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता सुविधा के लिए एकबार पुनः विकल्प देने या पूर्व में दिया गया विकल्प परिवर्तन करने हेतु दिनांक 30 सितम्बर, 2018 तक एक अंतिक अवसर इस शर्त पर दी जाए कि दिनांक 30 सितम्बर, 2018 के उपरान्त विकल्प परिवर्तन के किसी भी प्रकरण पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रशासकीय विभागों द्वारा भी ऐस प्रस्ताव वित्त विभाग को विचारार्थ नहीं भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए।

3/ यह भी स्पष्ट जाता है कि पुनरीक्षित विकल्प के आधार पर केवल विकल्प परिवर्तन संबंधी आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करने की तिथि के पश्चात् उद्भूत स्वत्वों का ही निराकरण किया जाएगा, उसके पूर्व अवधि के दावे जो कभी भी कार्यालय में प्रस्तुत किये गये हों, पूर्व विकल्प के आधार पर ही निराकृत होगे।

[छ.ग.शा.वि.वि.क्र. 358/एल 2018-71-00036/वि/नि/चार, दिनांक 27-07-2018]

16. चिकित्सा शिक्षकों एवं चिकित्सकों को निजी प्रेक्टिस पर प्रतिबंध की स्थिति में अव्यवसायिक भत्ते की पात्रता वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत अव्यवसायिक भत्ते की पात्रता ।

विषयः- चिकित्सा शिक्षकों एवं चिकित्सकों के निजी प्रेक्टिस पर प्रतिबंध की स्थिति में छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण, नियम, 2017 के अंतर्गत अव्यवसायिक भत्ते की पात्रता।

संदर्भः- (1) वित्त विभाग का ज्ञापन कमांक 61/सी-30454/वित्त/नियम/चार/2011 दिनांक 14.3.2011 (वित्त निर्देश 08/2011)

(2) वित्त विभाग का ज्ञापन कमांक 321/एफ 2016-53-00919/वि/नि/चार दिनांक 20.07.2017 (वित्त निर्देश 33/2017)

(3)चिकित्सा शिक्षा विभाग का ज्ञापन कमांक एफ 15-56/2017/नौ/55-4 दिनांक 1 मई,2018

वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञाप दिनांक 14 मार्च, 2011 द्वारा चिकित्सा शिक्षकों एवं चिकित्सकों के निजी प्रेक्टिस पर प्रतिबंध एवं अव्यवसायिक भत्तें की पात्रता कें संबंध में छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के अंतर्गत निर्देश जारी किये गये है। तदोपरांत चिकित्सा शिक्षा विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 1 मई, 2018 द्वारा निजी प्रेक्टिस की छूट के संबंध में संशोधित दिशा निर्देश जारी किये गये है।

(2) वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 20.07.2017 द्वारा छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अंतर्गत वेतन निर्धारण हेतु निजी प्रेक्टिस पर प्रतिबंध की स्थिति में अव्यवसायिक भत्ते की गणना के संबंध में निर्देश जारी किये गय हैं। उक्त निर्देश में अव्यवसायिक भत्ते की संशोधित दरों के संबंध में आगे की संशोधित दरों के संबंध में आगे विनिश्चय किये जाने तक छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण, नियम, 2009 के अंतर्गत स्वीकार्य संशोधन पूर्व अव्यवसायिक भत्ताा प्रदाय करने के निर्देश है। राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अंतर्गत अव्यवसायिक भत्ते के दरों को

निम्नानुसार संशोधित किया जाये:-

(1) अव्यवसायिक भत्ता की दर छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 में मूल वेतन के 20 प्रतिशत के समान के होगी, बशर्ते कि मूल वेतन और अव्यवसायिक भत्ते का योग रूपये 2,37,500/- (दो लाख सैंतिस हजार पांच सौ रू.) से अधिक न हो।

(2) पुनरीक्षित वेतन संरचना में ''मूल वेतन'' का अभिप्राय छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के नियम-3 (क) में तथा परिभाषित मूल वेतन से होगा अर्थात् पुनरीक्षण वेतन संरचना में मूल वेतन, वेतन मैट्रिक्स में विहित लेवल में आहरित मूल वेतन होगी, किन्तु इसमें किसी अन्य प्रकार का वेतन जैसे-विशेष वेतन आदि शामिल नहीं है।

(3) अव्यवसायिक भत्ता, महंगाई भत्ता की गणना हेतु मूल वेतन का भाग माना जाएगा।

(4) अव्यवसायिक भत्ता सेवानिवृत्ति परिलाभों की गणना हेतु भी मूल वेतन का भाग माना जाएग, बशर्ते पूरे सेवाकाल में कम से कम 5 वर्ष, तक यह भत्ता प्राप्त हुआ हो।

(5) अव्यवसायिक भत्ते की पात्रता केवल पूर्णकालिक चिकित्सा (क्लीनिकल) पदों तक सीमित होगी, जिनके लिए आवश्यक योग्यता इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट-1956, इंडियन मेडिसीन सेंट्रल काउंसिल एक्ट-1970, होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट-1973 अथवा डेन्टिस्टस एक्ट-1948 कें अंतर्गत प्राधिकृत चिकित्सा उपाधि है।

(3) पुनरीक्षित दर से अव्यवसायिक भत्ते की पात्रता दिनांक 1 जनवरी, 2018 से होगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 1 मई, 2018 की शेष शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

[छ.ग.वि.वि.क्र. 337/एल 2017-17-00071/वि/नि/चार, दिनांक 03-07-2018]

17. कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं के अन्तर्गत कार्यरत चिकित्सकों को अव्यवसायिक भत्ता

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 177/सी-30457/वित्त/नियम/चार/2011, दिनांक 2-6-2011 में वर्णित शतों के अधीन निर्देश ''कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं'' के अन्तर्गत कार्यरत चिकित्सकों के लिए भी लागू होंगे।

[वित्त विभाग क्रमांक 202/सी-10000279/वित्त/नियम/चार, दिनांक 3-9-2011]

18. शिक्षक संवर्ग को विशेष गतिरोध भत्ते की स्वीकृति करने बाबत

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के डाइंग कैडर घोषित किये जा चुके शिक्षक संवर्ग के कार्यरत सभी सहायक शिक्षक, शिक्षक/प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, व्याख्याता/प्रधान पाठक माध्यमिक शाला एवं प्राचार्यों को विशेष प्रकरण मानते हुए दिनांक 1-4-2013 से रु. 600/- प्रतिमाह विशेष गतिरोध भत्ता स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है ।

यह विशेष गतिरोध भत्ता मूल नियम 9 (21) के तहत वेतन के रूप में शामिल नहीं किया जावेगा तथा अन्य भत्ते या हितलाभ की गणना में भी शामिल नहीं किया जावेगा।

[वित्त एवं योजना विभाग क्र 99/एफ 1003875/वित्त/नियम/चार/12, दिनांक 1 अप्रैल, 2013]

19. राज्य शासन के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता

(1) छग सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 4 (तीन) (ख) के अनुसार छ.ग. सिविल सेवायें, तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) कर्मचारी

के रूप में वर्गीकृत ऐसे शासकीय सेवक जो बिन्दु क्र. (2) के अनुसार पात्रता नहीं रखते हैं, को रु. 250/- प्रतिमाह की दर से कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता देय।

(2) छग सिविल सेवायें, तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) सेवा के ऐसे सदस्यों को, जो हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति के संबंध में विभाग अथवा कार्यालय द्वारा आयोजित कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करते हों, उन्हें रु. 500/- प्रतिमाह की दर से कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता देय ।

यह आदेश दिनांक 1-2-2013 से लागू।

[वित्त एवं योजना विभाग क्र. 107/एफ 1005279/वि/नि/चार/2013, दिनांक 3 अप्रैल, 2013]

20. वाहन चालको को मोबाईल फोन भत्ता

राज्य शासन द्वारं नियमित/कार्यभारित/आकस्मिकता स्थापना एवं संविदा पर नियुक्त (दैनिक वेतन भोगियों को छोड़कर) वाहन चालकों को निम्न शर्तों के अधीन 200 रुपया प्रतिमाह की दर से मोबाईल भत्ता स्वीकृत करने का निर्णय लिया है -

1. वाहन चालक के पास स्वयं का 'मोबाईल सेट' एवं 'सिम' होना चाहिए, जिसकी लिखित जानकारी मोबाईल नंबर सहित, स्वीकृतकर्ता अधिकारी को दिया जाएगा ।
2. मोबाईल चालू हालत में होना चाहिए ताकि वाहन के प्रभारी अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार वाहन चालक से संपर्क स्थापित किया जा सके, अन्यथा प्रभारी अधिकारी की अनुशंसा पर मोबाईल भत्ता बंद/स्थगित किया जा सकेगा ।
3. भत्ते का भुगतान नियमित वैतनिक अवकाश की अवधि में भी किया जाएगा बशर्ते कि निरंतर अवकाश की अवधि 15 दिवस से अधिक न हो ।
4. नियमित स्थापना के वाहन चालकों के मोबाईल भत्ते का आहरण रु01 वेतन, 014अन्य भत्ते मद से तथा आकस्मिकता/कार्यभारित स्थापना के वाहन चालकों के भते आहरण संबंधित कर्मचारी के वेतन आहरण मद से किया जाएगा।

2. यह आदेश माह अगस्त 2013 से प्रभावशील होगा ।

[वित एवं योजना विभाग क्र. 275/एफ-2013-02-00144/वि/नि/चार, दि 17 जुलाई, 2013]

21. न्यायिक सेवा के अधिकारियों के लिए प्रतिनियुक्ति भत्ता

न्यायिक सेवा के अधिकारियों को छत्तीसगढ़ निम्नतर एवं उच्चतर न्यायिक सेवा (वेतन पुनरीक्षण नियम,2010) लागू है। जिसके अन्तर्गत इन सेवाओं के अधिकारियों को मास्टर पे स्केल रु. 27700-770-33090-920-40450-1080-49090-1230-58930-1380-67210-1540-76450 की पात्रता है। अतः इस सेवा के अधिकारियों को मुख्यालय परिवर्तन न होने की दशा में मूल वेतन का 5 प्रतिशत (अधिकतम 2000 रुपये) तथा मुख्यालय परिवर्तन होने की दशा में 10 प्रतिशत (अधिकतम रु. 4000) प्रतिनियुक्ति भत्ता देय होगा ।

[वित्त एवं योजना विभाग क्र. 71/एफ-1005236/वित्त/नियम/चार/2013, दिनांक 12 मार्च, 2013]

--00--

अध्याय - 28

ऋण एवं अग्रिम
(LOANS & ADVANCES)

शासकीय सेवकों को दिये जाने वाले अग्रिम दो प्रकार के होते हैं - (1) ब्याज रहित, (2) ब्याज सहित।

(1) **ब्याज रहित अग्रिम :—**

(1) स्थानान्तर पर वेतन अग्रिम ।
(2) स्थानान्तर / दौरे पर यात्रा अग्रिम।
(3) त्यौहार अग्रिम ।
(4) गृह नगर की यात्रा हेतु यात्रा अग्रिम ।
(5) भारत के बाहर प्रशिक्षण पर जाने वाले शासकीय सेवकों को अग्रिम ।
(6) चिकित्सा अग्रिम ।

(2) **ब्याज सहित अग्रिम :—**

राज्य शासन के ज्ञापन क्र. 460/525/वि/नि/चार/2003 दिनांक 21.5.2004 द्वारा शासकीय सेवकों को वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने की योजना लागू की गई है। जिसके फलस्वरूप भवन निर्माण, कार, मोटर सायकल, सायकल इत्यादि क्रय के उद्देश्य से पूर्व में लागू राज्य शासन की ब्याज युक्त ऋण प्रदाय संबंधी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है।

(वि.नि.क्र. 331/एफ-1003419/वित्त/नियम/चार/12 दिनांक 12.10.2012)

इन प्रयोजनों के लिए शासन ने कर्ज देना बन्द कर दिया है। शासकीय सेवक किसी भी वित्तीय संस्था से कर्ज प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र हैं। इसके लिए शासन ने कर्ज उपलब्ध कराने की योजना प्रारंभ की है जो 1-6-2004 से लागू हो गई है।

1. **स्थानान्तर पर वेतन/यात्रा भत्ता अग्रिम**

राशि - एक माह के वेतन के बराबर वेतन अग्रिम + रेल-बस का वास्तविक किराया । किराये की गणना में स्वयं के लिये एवं शासकीय सेवक पर आश्रित परिवार के सदस्यों के लिये, उसी दर से जिस श्रेणी से शासकीय सेवक यात्रा की पात्रता रखता है, व्यय में शामिल है घरेलू सामान का परिवहन व्यय (रेल अथवा सड़क मार्ग से)।

वसूली - वेतन अग्रिम की राशि वेतन से तीन समान मासिक किश्तों में एवं यात्रा अग्रिम का समायोजन स्थानान्तर यात्रा देयक से एक मुश्त किया जायेगा।

स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी - कार्यालय प्रमुख ।

अन्य शर्ते-

(1) पारस्परिक स्थानान्तरों के मामले में अग्रिम की पात्रता नहीं है।

(2) स्थानान्तर अग्रिम को अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में दर्शाया जाना चाहिए।

(3) अवकाश काल में यदि स्थानान्तर आदेश हुए हैं तो भी शासकीय सेवक को यह अग्रिम दिया जा सकता है। (4) किश्तों का निर्धारण पूर्ण रुपयों में किया जाना चाहिये।

(5) शासकीय सेवक चाहे वह स्थाई हो या अस्थाई, से जमानत लेना वांछनीय नहीं है।

[नियम 268 छत्तीसगढ़ वित्त संहिता भाग 1]

2. **त्योहार अग्रिम :-** त्योहार अग्रिम की पात्रता निम्नालिखित प्रमुख त्योहारों हेतु होगी

त्योहार - स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, होली, दशहरा, दीपावली, रक्षा-बन्धन ईद-उज्जुहा, ईद-उल-फितर, क्रिसमस-डे।

पात्रता- समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कार्यभारित एवं आकस्मिकता सेवा के सदस्यों को अग्रिम की पात्रता होगी।

राशि - रुपये 8000 से अधिक नहीं।

वसूली - दस समान मासिक किश्तों में वेतन से।

अन्य शर्ते - अग्रिम कैलेन्डर वर्ष में केवल एक बार दिया जाता है, बशर्ते पिछला अग्रिम बकाया न हो ।

स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी - कार्यालय प्रमुख।

[वित्त एवं योजना विभाग क्रमांक 331/एफ/1003419/वि/नि/चार,
दिनांक 19-10-2012 द्वारा संशोधित]

3. **गृह नगर की यात्रा हेतु अग्रिम**

पात्रता - सभी श्रेणी के शासकीय सेवकों को ।

अग्रिम - दोनों ओर की यात्रा पर खर्च होने वाली अनुमानित राशि का 4/5 भाग । जहाँ शासकीय सेवक एवं उसका परिवार पृथक्-पृथक् यात्रा करना चाहता है, वहाँ अग्रिम पृथक्-पृथक् स्वीकार किया जा सकता है। जहां अवकाश की अवधि 90 दिन से अधिक है वहाँ केवल एक ओर का ही अग्रिम स्वीकार किया जाये ।

वसूली - यात्रा देयक से एकमुश्त समायोजित की जायेगी।

स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी - कार्यालय प्रमुख ।

अन्य शर्ते - अस्थायी शासकीय सेवकों के मामले में स्थायी कर्मचारी की जमानत देनी होगी।

[वित्त विभाग क्रमांक 1342-सी. आर. 2654-चार-आर एक-72, दिनांक 27-11-72]

4. भारत के बाहर प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले शासकीय सेवकों को अग्रिम

पात्रता - श्रेणी का कोई बन्धन नहीं ।

राशि - विदेश प्रशिक्षण की समयावधि के बराबर महीनों की संख्या के लिए अधिकारी के वेतन तक सीमित होगी, किन्तु किन्हीं भी परिस्थितियों में 12 माह के वेतन से अधिक नहीं होगी।

वसूली - किश्तों की संख्या अधिक नहीं होगी -

(क) तीन माह तक विदेश प्रशिक्षण के मामले में - तीन

(ख) तीन माह से अधिक किन्तु 12 माह से अधिक नहीं - विदेश प्रशिक्षण के मामले में महीनों में प्रशिक्षण की अवधि

(ग) 12 माह से अधिक विदेश प्रशिक्षण के मामले में - बारह

टिप्पणी - इस नियम के प्रयोजनार्थ 22 दिन अथवा इससे अधिक अवधि को एक माह माना जावेगा, जबकि इससे कम अवधि की गणना में नहीं लिया जाएगा।

स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी- एक माह के वेतन के बराबर के लिये कार्यालय प्रमुख तथा इससे अधिक के लिये विभाग प्रमुख । नियम 269 वित्तीय संहिता भाग 1]

5. **दौरे पर यात्रा भत्ता अग्रिम**

दौरे पर जाने वाले शासकीय सेवक को दौरे पर यात्रा हेतु अग्रिम उस राशि तक जो उसके संभावित यात्रा व्यय के लिये पर्याप्त हो, यात्रा की पूर्णता पर समायोजन कराने की शर्त के अधीन कार्यालय प्रमुख द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है।

(2) जब तक प्रथम अग्रिम का हिसाब नहीं दिया जाता है, तब तक शासकीय सेवक को दूसरा अग्रिम स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

(3) जहाँ इन नियमों के अधीन आहरण के पश्चात् शासकीय सेवक अपने यात्रा भत्ते के दावे का अधिकार खो देता है । (समयावधि के अन्दर समायोजन देयक प्रस्तुत नहीं करने के कारण से अथवा किसी अन्य कारण से) तो अग्रिम शासकीय सेवक के वेतन देयक से अथवा किसी अन्य देय धन से एक किश्त में वसूल किया जायगा।

(4) अन्य सभी यात्रा के मामलों में जिनमें दौरे पर यात्रा के समान यात्रा भत्ता प्राप्त होता है। इन नियमों के अधीन यात्रा अग्निम दिया जा सकता है।

[नियम 271 वितीय संहिता भाग 1]

6. **अनाज अग्रिम**

यह अग्रिम वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 331/एफ 1003419/वित्त/नियम/चार/2012, दिनांक 19-10-2012 द्वारा समाप्त कर दिया गया है।

7. वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से गृह निर्माण/क्रय वाहन कम्प्यूटर अन्य घरेलू उपकरण तथा उच्च शिक्षा अदि के लिये ऋण उपलब्ध कराने की योजना

1. **योजना का नाम**- यह योजना शासकीय सेवकों को वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने की योजना कहलायेगी ।

2. **उद्देश्य**- इस योजना का उद्देश्य शासकीय सेवकों को उनके द्वारा चयनित वित्तीय संस्था आवासीय प्लाट का क्रय, गृह निर्माण/क्रय, वाहन/कम्प्यूटर एवं अन्य घरेलू उपभोक्ता उपकरणों या बच्चों/स्वयं की उच्च शिक्षा के लिये सरलता से ऋण उपलब्ध कराना है।

3. **प्रारंभ**- यह योजना दिनांक 1-6-2004 से प्रारंभ होगी ।

4. **विस्तार**- (1) यह योजना निम्नांकित वर्गों को छोड़कर राज्य शासन के समस्त स्थाई/अस्थाई कर्मचारियों पर लागू होगी

   (अ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी;

   (ब) दैनिक वेतन पर नियुक्त कर्मचारी;

   (स) आकस्मिकता निधि/कार्यभारित स्थापना के अस्थाई सदस्य;

   (द) पुनर्नियुक्ति प्राप्त कर्मचारी;

   (इ) राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारी ।

   (ii) ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 5 वर्ष की स्थायी/अस्थाई सेवा पूर्ण कर ली हो तथा जिनकी अधिवार्षिकी पर सेवानिवृति हेतु 2 वर्ष से अधिक अवधि शेष है, इस योजना के अंतर्गत ऋण लेने के लिये पात्र होगे जो शासकीय कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर हैं, उन पर भी योजना लागू होगी।

5. **ऋण का उद्देश्य**- इस योजना के अंतर्गत शासकीय कर्मचारियों को व्यावसायिक बैंकों / वित्तीय संस्थाओं से निम्नांकित उद्देश्यों हेतु ऋण प्राप्त हो सकेगा -

   (1) किसी भी स्थान पर स्वयं के आवास हेतु आवासीय भू खंड क्रय अथवा भवन के क्रय/निर्माण एवं परिवर्धन हेतु ;

   (2) नवीन/पुराने वाहन के क्रय हेतु ;

   (3) कम्प्यूटर/टेलीविजन/रेफ्रिजेरेटर क्रय हेतु ;

   (4) राज्य शासन से पूर्व के लिये गए आवासीय प्लाट/भवन निर्माण अग्रिम, वाहन क्रय अग्रिम की राशि के समय पूर्व भुगतान हेतु ;

   (5) स्वयं तथा अपने बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु ;

   (6) राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुरूप अन्य उद्देश्यों हेतु ;

6. **वित्तीय संस्थाओं का चयन**- शासकीय कर्मचारी बिन्दु क्रमांक 5 में दिये गये उद्देश्यों के लिये ऋण प्राप्त करने हेतु व्यावसायिक बैंक/वित्तीय संस्था का चयन स्वयं करेंगे। इस हेतु राज्य शासन का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

7. **ऋण की प्रक्रिया**- शासकीय सेवक संलग्न परिशिष्ट-1 में कार्यालय प्रमुख को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19 के प्रावधानों के तहत पूर्व स्वीकृति (जहाँ आवश्यक हो,) व अनुशंसा पत्र हेतु निवेदन करेगा। कार्यालय प्रमुख प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के उपरांत (जहाँ आवश्यक हो) वित्तीय संस्था के नाम से अनुशंसा पत्र (परिशिष्ट-2) प्रदाय करेगा, जिसमें कर्मचारी के वेतन भत्ते आदि की प्रमाणित जानकारी होगी। शासकीय सेवक इस अनुशंसा पत्र के साथ सीधे बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के स्थानीय कार्यालय/शाखा से सम्पर्क कर सकते हैं। ऋण प्रदाय के लिये आवश्यक सभी प्रपत्र आदि संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे । बैंक/वित्तीय संस्था अपने द्वारा इस संबंध में निर्मित नियम के सीमा अनुसार ऋण स्वीकृत कर सकता है। बैंक द्वारा ऋण की स्वीकृति की एक प्रति मय शर्तों आदि के आहरण एवं संवितरण अधिकारी को दी जावेगी एवं कर्मचारी के अभिलेख में रखी जावेगी। सम्पति पर प्रथम चार्ज बैंक/वित्तीय संस्था का रहेगा। ऋण हेतु बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा निर्धारित प्रक्रिया/नियमों का कर्मचारी को पालन करना आवश्यक होगा। यह योजना सहकारी संस्थाओं से लिये जाने ऋणों पर लागू नहीं होगी।

8. **ऋण की सीमा**- बैंक/वित्तीय संस्था संबंधित कर्मचारी को अपने द्वारा इस संबध में निर्मित नियम के सीमा अनुसार ऋण स्वीकृत कर सकता है। किन्तु कर्मचारी द्वारा समस्त स्त्रोतों के लिये गये ऋणों की मासिक किश्तों का योग उसके कुल वेतन के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । पति-पत्नी दोनों शासकीय सेवा में होने पर 75 प्रतिशत तक की सीमा तक कटौती मान्य की जा सकती है। इस संबंध में बैंक कै नियम तथा शर्ते लागू होंगी। सम्पति पर प्रभार संबंधित वित्तीय संस्थान/बैंक के पक्ष में निर्मित होगा ।

9. **ऋण की वापसी**-

(1) बैंक / वित्तीय संस्था से लिये गये ऋण की समय पर वापसी का पूर्ण दायित्व संबंधित शासकीय सेवक का होगा । शासकीय सेवक ऋण वापसी की किश्तें अपने बैंक खाते से काटकर वसूल करने हेतु बैंक को अधिकृत कर सकता है, अथवा स्वयं अपनी किश्तें उक्त बैंक/वित्तीय संस्था को सीधे जमा कर सकता है। ऋण प्रदायकर्ता संस्था की उक्त विकल्पों में से किसी एक का चयन ऋण स्वीकृत करते समय करना होगा ।

(2) कर्मचारी से इस आशय का वचन पत्र प्राप्त किया जाएगा कि यदि उसके द्वारा बैंक अथवा वित्तीय संस्था से लिये गए ऋण की किश्तें निर्धारित समयानुसार वापस भुगतान नहीं की जाने संबंधी सूचना बैंक/वित्तीय संस्थान से प्राप्त होती है तो

आहरण एवं संवितरण अधिकारी उसके वेतन से बैंक द्वारा बताई गई राशि की कटौती कर संबंधित बैंक अथवा वित्तीय संस्थान को भुगतान कर सकेगा । यदि कर्मचारी लिखित सहमति दे तो ऋण की बकाया राशि की वसूली अवकाश नगदीकरण, उपदान इत्यादि से भी की जा सकती है। किन्तु इस सुविधा का यह अर्थ नहीं है कि राज्य शासन उक्त अवरुद्ध किश्तों के भुगतान की जिम्मेदारी ले रहा है। उक्त ऋण/ब्याज आदि की वसूली की जिम्मेदारी पूर्णतः संबंधित बैंक/वित्तीय संस्था की होगी।

(3) ऐसे शासकीय कर्मचारी जो ऋण लेने के उपरांत किसी कारणवश निलंबित हो जाते हैं के विषय में ऋण की किश्तों की वसूली की जिम्मेदारी राज्य शासन की नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति निर्मित होने पर तत्काल कार्यालय प्रमुख द्वारा संबंधित बैंक/वित्तीय संस्था को सूचित किया जावेगा ताकि वह उक्त कर्मचारी से सम्पर्क कर सीधे ऋण की किश्तों की राशि प्राप्त कर सके ।

(4) ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिन्होंने प्लाट/भवन के निर्माण/क्रय हेतु बैंक अथवा वित्तीय संस्था से इस योजना के अंतर्गत ऋण लिया है, की ऋण की पूरी किश्तें चुकाने के पूर्व ही यदि मृत्यु हो जाती है तो उस ऋण को माफ करने की कोई व्यवस्था संबंधित बैंक/वित्तीय संस्था को करनी होगी । अर्थात् इस संबंध में बैंक को कर्मचारी के प्लाट/मकान का बीमा इत्यादि कराकर आवश्यक व्यवस्था करना होगी ।

(5) ऋण प्राप्त करने वाले शासकीय कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उसकी सूचना कार्यालय प्रमुख द्वारा तत्काल संबंधित बैंक/वित्तीय संस्था को दी जाएगी, जो ऋण की शर्तों के अनुसार शेष ऋण, ब्याज आदि की वसूली करने के विषय में आवश्यक कार्यवाही करेगी। इस संबंध में राज्य शासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

(6) ऋण प्राप्तकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के संबंध में ऐसी किसी घटना यथा सेवा से निलंबन, अनिवार्य सेवानिवृति, स्थानान्तरण आदि जिसका प्रभाव वेतन के भुगतान की व्यवस्था पर पड़ता हो, की सूचना कार्यालय प्रमुख की संबंधित वित्तीय संस्था/बैंक को तत्काल देना होगा तथा इस संबंध में जारी होने वाले आदेश की प्रति संबंधित ऋण प्रदायकर्ता बैंक को पृष्ठांकित की जाएगी। इसके अतिरिक्त शासन का कोई दायित्व नहीं होगा।

(7) अगर किसी कारण से शासकीय सेवक और वित्तीय संस्थाओं के बीच विवाद होता है और मामला न्यायालय में जाता है तो राज्य शासन को किसी भी पक्ष द्वारा पक्षकार नहीं बनाया जायेगा।

[वित्त एवं योजना विभाग क्रमांक 460/525/वि/नि/चार/2003, दिनांक 21-5-2004 द्वारा जारी]

विषय- **शासकीय सेवकों को वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने की योजना ।**

संदर्भ- वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 460/525/वि/नि/चार/2003, दिनांक 21-5-2004.

वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन द्वारा शासकीय सेवकों को वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने की योजना लागू की गई है। कतिपय विभागों द्वारा उक्त योजना के बिन्दु क्रमांक 9.2 के तहत वचन पत्र की प्रक्रिया एवं प्रारूप के विषय में जानकारी चाही गयी है।

इस ज्ञापन के साथ वचन पत्र का प्रारूप संलग्न है, जो योजना का 'परिशिष्ट-3' होगा । यह वचन पत्र शासकीय सेवक को परिशिष्ट-1 में आवेदन पत्र के साथ ही संलग्न करना होगा । कार्यालय प्रमुख द्वारा परिशिष्ट-2 में वित्तीय संस्था/बैंक को दिये जाने वाले विवरण पत्र में वचन-पत्र प्राप्त होने संबंधी जानकारी दी जावेगी । इस हेतु परिशिष्ट-2 के अंत में निम्नानुसार वाक्य जोड़ा जाए- 'शासकीय सेवक से ऋण की राशि की वापसी हेतु परिशिष्ट-3 में वचन पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

संलग्न-परिशिष्ठ - 3

[वित्त एवं योजना विभाग क्रमांक 718/137/वि/नि/चार/2004, दिनांक 6-8-2004]

परिशिष्ट-1

प्रति,

....

....

(कार्यालय प्रमुख)

विषय- **शासकीय सेवकों को वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने की योजना के अंतर्गत ऋण प्रदाय। -**

उपर्युक्त विषय के संबंध में लेख है कि मैं नीचे दिये गये विवरण के अनुसार बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण लेना चाहता/चाहती हूँ। अतः कृपया छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19 के प्रावधानों के तहत सूचना ग्रहण करने/स्वीकृति प्रदाय करने (जो लागू न हों काट दें) तथा विषयांकित योजना की परिशिष्ट-2 में दिये गये प्रपत्र में वित्तीय संस्था के पक्ष में अनुशंसा पत्र प्रदाय करने का कष्ट करें।

विवरण

1. नाम; : ....
2. पिता/पति का नाम : ....
3. पदनाम : ....
4. वर्तमान कार्यालय का पता : ....

५. स्थायी निवास का पता : ....
६. जन्म तिथि : ....
७. शासकीय सेवा में नियुक्ति का दिनांक : ....
८. अधिवार्षिकी आयु हेतु शेष अवधि : ....
९. ऋण का उद्देश्य : ....
10. ऋण की राशि : ....
11. क्रय/निर्माण का कुल लागत : ....
12. लागत एवं ऋण की राशि में भिन्नता : ....
13. बैंक/वित्तीय संस्था का नाम जिससे ऋण लेना चाहते हैं। : ....
14. पूर्व में लिये गये अन्य ऋणों का विवरण : ....
(क) कुल ऋण की राशि : ....
(ख) वसूली हेतु शेष राशि : ....
(ग) मासिक किश्त की दर : ....
15 अन्य विवरण : ....
(यदि कोई हो तो) : ....

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही है ' उपर्युक्त योजना की समस्त शर्तो के पालन हेतु सहमत हूँ।

स्थान :

(हस्ताक्षर)

दिनांक:

शासकीय सेवक

परिशिष्ट-2

प्रति,

प्रबंधक बैंक/वित्तीय संस्थाएं

....

विषय: बैंक/वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारियों को ऋण प्रदय की सुविधा।

श्री/श्रीमती/कु .... इस कार्यालय के स्थाई/अस्थाई शासकीय सेवक हैं। उन्होंने आपकी संस्था/बैंक से ऋण लेने की सहमति चाही है। उपलब्ध अभिलेख के अनुसार इनका सेवा विवरण निम्नानुसार है:-

1. कर्मचारी का नाम : ....

2. पिता/पति का नाम : ....
3. पदनाम : ....
4. वर्तमान कार्यालय का पता : ....
5. स्थाई निवास का पता : ....
6. जन्म तिथि। : ....
7. शासकीय सेवा में नियुक्ति का दिनांक : ....
8. अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने का दिनांक : ....
9. माह........... के वेतन का विवरण : ....

स.क्र.	वेतन का विवरण	राशि	कटौती का विवरण	राशि
1.	मूल वेतन		सामान्य भविष्य निधि अंशदान	
2.	महंगाई भत्ता		समूह बीमा योजना/परिवार कल्याण निधि	
3.	नगर क्षतिपूर्ति भत्ता		गृहनिर्माण अग्रिम	
4.	मकान किराया भत्ता		वाहन अग्रिम	
5.	वाहन भत्ता		अनाज अग्रिम	
6.	अन्य भत्ता		त्यौहार अग्रिम	
7.	कुल वेतन		अन्य कटौती	

शुद्ध वेतन

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक ....के शर्तों के अधीन उपर्युक्त शासकीय सेवक को आपकी वित्तीय संस्था/बैंक से ऋण प्राप्त करने की सहमति दी जाती है।

(.........................)

कार्यालय प्रमुख

परिशिष्ट-3

(बिन्दु क्रमांक 9.2 देखें)

वचन पत्र

प्रति,

....

....

(कार्यालय प्रमुख)

1. मैं ....(नाम)........................(पदनाम) ....(कार्यालय का नाम) ....(वित्तीय संस्था/बैंक का नाम) की. शाखा से शासकीय सेवकों को वित्तीय संस्थाओं/बैक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने की योजना के अंतर्गत .... प्रयोजन हेतु रुपये......................के ऋण प्राप्त करना चाहता हूँ।

2. मैं एतद् द्वारा आपको अधिकृत करता हूँ कि यदि मेरे द्वारा उक्त ऋण के मसिक किश्त रूपये..........................(रूपये..........................) का निर्धारित अवधि तक समय पर भुगतान उक्त वित्तीय संस्था/बैंक को नही किया जाता है तो वित्तीय संस्था/ बैंक के अनुरोध पर किश्त की राशि की वसूली मेरे वेतन से की जाकर सीधे संबधित वित्तीय संस्था/ बैंक को भुगतान कर दी जाए।

3. मैं वचन देता हूँ कि उपरोक्तानुसार राशि की वसूली के संबध में मेरे अथवा मेरे परिवार के किसी सदस्य को कोई आपत्ति नही होंगी ।

4. मैं आपको यह भी अधिकृत करता हूँ कि मृत्यु/सेवानिवृत्ति या अन्य किसी भी कारण से मेरी शासकीय सेवा समाप्त होने पर उक्त ऋण की बकाया राशि की ब्याज सहित वसूली मेरे सेवानिवृत्ति/सेवा समाप्ति लाभों तथा उपादान/ सामान्य भविष्य निधि/अवकाश नगदीकरण इत्यदि से की जाकर संबंधित वित्तीय संस्था/ बैंक को भुगतान कर दी जाए।

5. मैं यह भी वचन देता हूँ कि मेरे स्थानान्तरण या अन्य किसी कारण से उपरोक्त प्राधिकार को वापस लेने हेतु तब तक अधिकृत नहीं रहूंगा जब तक कि ऋण की संपूर्ण राशि की ब्याज सहित वापसी संबंधित वित्तीय संस्था/बैंक को नहीं हो जाती तथा इस बाबत वित्तीय संस्था/बैंक से लिखित अभिस्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती ।

साक्षी के हस्ताक्षर	हस्ताक्षर....................................
नाम	नाम....................................
पदनाम	पदनाम....................................
कार्यालय का नाम........................	कार्यालय का नाम........................
स्थान	
दिनांक....................................	

----

8. **चिकित्सा अग्रिम**

(1) राज्य के भीतर/राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में उपचार हेतु चिकित्सा नियमों के नियम 8 एवं नियम 9 (3) के प्रावधानों के अंतर्गत, यथास्थिति, जिला सिविल सर्जन/जिला आयुर्वेद अधिकारी की अनुशंसा पर संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा अधिकतम 80 प्रतिशत की सीमा तक चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत किया जा सकेगा। इसके लिए, कर्मचारी द्वारा संबंधित चिकित्सालय का व्यय प्राक्कलन प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) चिकित्सा अग्रिम केवल उन्हीं मामलों में स्वीकृत किया जायेगा, जहाँ रोगी का उपचार, राज्य शासन द्वारा इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में अंत:रोगी के रूप में कराया जा रहा है या कराया जाना हो तथा प्रकरण में रिफरल प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया हो ।

(3) प्रथम और द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के मामले में रुपये 30,000/- अथवा इससे अधिक और तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में रुपये 15,000/- अथवा इससे अधिक के अनुमानित चिकित्सा व्यय पर, चिकित्सा अग्रिम की पात्रता होगी।

(4) स्वीकृत चिकित्सा अग्रिम संबंधित चिकित्सालय को सीधे उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका समायोजन चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक में किया जायेगा ।

(5) चिकित्सा अग्रिम का पूर्ण (अंतिम) समायोजन, अग्रिम प्राप्तकर्ता कर्मचारी के द्वारा चिकित्सालय से रोगी के डिस्चार्ज होने की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर कराया जाना होगा, अन्यथा कर्मचारी के वेतन देयक से वसूली का दायित्व कार्यालय प्रमुख का होगा।

(6) चिकित्सा अग्निम की असमायोजित राशि, कर्मचारी के वेतन अथवा कर्मचारी के आय के अन्य स्रोत से वसूल की जायेगी।

(7) अग्रिम राशि का आहरण, वास्तविक आवश्यकता के 15 दिवस पूर्व नहीं किया जा सकेगा।

(8) यह प्रत्यायोजन विदेशों में कराई गई चिकित्सा (उपचार) पर लागू नहीं होगा।

9. **स्व-वाहन सुविधा योजना**

शासन ने मंत्रालय तथा विभागाध्यक्ष कार्यालयों में पदस्थ वरिष्ठ अधिकारियों को नवीन वाहन क्रय कर आवंटित करने की बजाय ''स्व-वाहन सुविधा योजना'' लागू करने का निर्णय लिया है। यह योजना अधिसूचना क्र. 327/नियम/वित्त/IV/2001, दिनांक 28 मई, 2001 द्वारा लागू हो गई है। यह योजना इस उद्देश्य से लागू की गई है कि शासकीय वाहनों की संख्या कम की जाय ताकि वाहनों पर हो रहे आवर्ती व्यय को कम किया जा सके। योजना निम्नानुसार है:-

(1) योजना :-

इस योजना का नाम ''स्व-वाहन सुविधा योजना'' होगा।

(2) यह योजना वैकल्पिक होगी।

(3) पात्रता :-

3.1 छत्तीसगढ़ शासन के मंत्रालय तथा विभागाध्यक्ष कार्यालय में पदस्थ निम्न अधिकारी इस योजना से आवृत्त होंगे :-

(1) वरिष्ठ वेतनमान अथवा उससे उच्च वेतनमान के अखिल भारतीय सेवा (भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा) के अधिकारी,

(2) उप सचिव तथा उससे उच्च स्तर के अधिकारी, जिसमें उच्च न्यायालय व विधानसभा के अधिकारी भी शामिल है,

(3) संयुक्त संचालक तथा उससे उच्च स्तर के अधिकारी,

(4) अधीक्षण यंत्री तथा उससे उच्च स्तर के अधिकारी ।

3.2 यदि किसी अधिकारी द्वारा एक बार इस योजना का चयन किया जाता है तो पूरे सेवा काल में किसी भी पदस्थापना पर वे इस योजना की शर्तो व नियमों से बाध्य होंगे एवं इस योजना के नियमों के तहत शासन के किसी भी पद पर रहते हुए राशि की प्रतिपूर्ति के पात्र होगे । प्रतिनियुक्ति की अवधि का नियमन इस अधिसूचना के पैरा-9 अनुसार किया जाएगा।

(4) वाहन अग्रिम :-

4.1 योजना का विकल्प देने वाले अधिकारी की रुपये 3.00 लाख अथवा वाहन की कीमत, जो भी कम हो, वाहन अग्रिम दिया जायेगा । अग्रिम केवल नवीन वाहन क्रय के लिए दिया जायेगा। वाहन अग्रिम की राशि समय-समय पर वाहनों की बाती कीमतों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा पुनरीक्षित की जा सकेगी।

4.2 वाहन अग्रिम पर 11 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज देय होगा।

4.3 कतिपय मामलों जहां वाहन निर्माता द्वारा यह शर्त लगा दी जाती है कि वाहन की बुकिंग के समय वाहन की सम्पूर्ण कीमत अग्रिम के रूप में डिपाजिट की जाए वहां अग्रिम रूप से राशि अधिकृत विक्रेता के पास जमा करने हेतु वाहन अग्रिम प्राप्त किया जा सकेगा, परन्तु इस प्रकार प्राप्त किये गये अग्रिम पर यदि कोई ब्याज प्राप्त होता है तो संबंधित अधिकारी को ब्याज की राशि शासन को वापस करनी होगी।

4.4 वाहन अग्रिम की वसूली वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार ही इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त किये गये अग्रिम के मूलधन एवं ब्याज की वापसी अधिकतम 10 वर्ष की समयावधि में की जायेगी।

4.5 पात्र अधिकारियों द्वारा शासन के नियमों के अन्तर्गत अन्य किसी भी प्रकार के अग्रिम जैस-गृह निर्माण कम्प्यूटर अग्रिम के अतिरिक्त इस योजना के अन्तर्गत वाहन अग्रिम प्राप्त किया जा सकेगा। ऐसे प्रकरणों में जहां अधिकारियों द्वारा पूर्व में वाहन अग्रिम प्राप्त किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत अग्रिम प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक होगा कि पूर्व में प्राप्त किये गये अग्रिम के विरुद्ध शेष राशि ब्याज सहित एक मुश्त शासकीय कोष में जमा कर दी जाए । परन्तु यह प्रतिबंध उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां कार की अग्रिम बुकिंग के लिए डिपाजिट करने हेतु अग्रिम लिया गया है- ऐसे मामलों में वाहन की डिलेवरी प्राप्त करने पर पुराने अग्रिम के विरुद्ध शेष राशि जमा करना आवश्यक होगा।

4.6 जिन अधिकारियों द्वारा योजना का विकल्प नहीं दिया जाता है उन्हें स्वमेव शासकीय वाहन की पात्रता नहीं होगी । प्रशासकीय विभाग संबंधित अधिकारी के कार्य के आधार पर इसका निर्धारण करेंगे।

(5) सामान्य शर्तें:-

5.1 इस योजना के अन्तर्गत विकल्प देने वाले अधिकारी को उसकी पूरी शासकीय सेवा के दौरान किसी भी पद पर रहते हुए शासकीय वाहन की पात्रता नहीं होगी जब तक कि अधिकारी द्वारा इस योजना के तहत प्राप्त किये गये वाहन अग्रिम की सम्पूर्ण बकाया राशि ब्याज सहित शासकीय कोष में जमा नहीं कर दी जाए।

5.2 शासन की यह मान्यता है कि कतिपय मैदानी पदस्थापनाओं के दौरान वाहन का उपयोग ऐसी विषम परिस्थितियों में करनी अपरिहार्य हो जाता है जहां कानून और व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से व्यक्ति एवं वाहन दोनों को जोखिम हो सकता है। ऐसे पदों पर रहते हुए अधिकारियों को शासकीय वाहन की पात्रता होगी भले ही ''स्व-वाहन सुविधा योजना'' अन्तर्गत अधिकारी द्वारा विकल्प के आधार पर वाहन का लाभ मिला हो, परन्तु मैदानी पदस्थापना के समय उन्हें योजना में शामिल नहीं किया जायेगा तथा जो पूर्व से योजना में शामिल हैं उन्हें केवल निश्चित व्यय की राशि देय होगी। मैदानी अधिकारियों की सूची निम्नानुसार है:-

1. संभागीय आयुक्त/अपर संभागीय आयुक्त .
2. जोन में पदस्थ पुलिस महानिदेशक/उप महानिदेशक,
3. जिला कलेक्टर,
4. जिला पुलिस अधीक्षक,
5. अपर कलेक्टर / अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी/सहायक कलेक्टर / अनुविभागीय अधिकारी,
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/नगर पुलिस अधीक्षक/अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस
7. वन संरक्षक,
8. वन मंडलाधिकारी ।

5.3 इस आदेश में वर्णित पैरा- 6 के अतिरिक्त शासकीय अधिकारियों को वाहन के संधारण एवं परिचालन पर होने वाले समस्त व्यय स्वयं वहन करने होंगे ।

5.4. इस योजना का विकल्प देने वाले अधिकारियों की समस्त शासकीय यात्राएं स्वयं करनी होगी और किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा नहीं की जायेगी भले ही कार्य का स्वरूप अथवा कार्य कुछ भी रहा हो अथवा वाहन पर कितना भी व्यय हुआ हो । अधिकारी द्वारा उसकी पदस्थापना स्थल से 25 किलो मीटर से अधिक दूरी की यात्रा शासकीय कार्य से की है तो शासन के यात्रा भत्ते नियमों के अन्तर्गत यात्रा भत्ता/मील भत्ता की पात्रता होगी ।

5.5 इस योजना के अन्तर्गत विकल्प आने वाले अधिकारी को शासन द्वारा वाहन चालक किसी भी परिस्थिति में उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।

(6) वाहन पर व्यय का भुगतान :-

6.1 योजना का विकल्प देने पर अधिकारियों को निम्नानुसार श्रेणी में किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी :-

(1) परिचालन व्यय का भुगतान,

(2) निश्चित व्यय का भुगतान,

6.2 परिचालन व्यय का भुगतान :-

6.2.1 **ईंधन :-** वाहन पर प्रतिमाह 100 लीटर पेट्रोल/डीजल का भत्ता शासन द्वारा दिया जायेगा। जिन माहों में विधानसभा सत्र 10 कार्य दिवस अथवा उससे अधिक चलता है उन माहों में 120 लीटर पेट्रोल/डीजल का भत्ता देय होगा। ईंधन व्यय मासिक आधार पर देय होगा।

6.2.2 **रख-रखाव/मरम्मत :-** वाहन के रख-रखाव/मरमम्त आदि के लिए प्रति वर्ष रुपये 16000/- (सोलह हजार केवल) पेट्रोल वाहनों के लिए तथा रुपये 21,000/- (इक्कीस हजार केवल) डीजल वाहनों के लिए शासन द्वारा भुगतान किया जायेगा । वाहन की बैटरी अथवा टायर-ट्यूब आदि के लिए अलग से कोई भत्ता देय नहीं होगा। यह राशि प्रतिवर्ष अप्रैल माह में देय होगी।

62.3 **मील भत्ता :-** शासकीय कार्य पर मुख्यालय से बाहर जाने पर प्रति किलोमीटर 5/- रुपये पेट्रोल वाहन के लिए तथा प्रति किलोमीटर 4/- रुपये डीजल वाहन के लिए भुगतान किया जायेगा। इस भत्ते की पात्रता उन्हीं मामलों में होगी जहां शासकीय यात्रा पदस्थापना स्थल से 25 किलोमीटर की दूरी से भी अधिक की, की गई हो ।

6.3 निश्चित व्यय का भुगतान :-

6.3.1 **अवक्षयण भत्ता :-** प्रति वर्ष रुपये 30 हजार अथवा वाहन के मूल्य का 10 प्रतिशत जो भी कम हो, अवक्षयण भत्ता के रूप में शासन द्वारा दिया जायेगा। यह राशि प्रति वर्ष अप्रैल माह में भुगतान की जायेगी। यह राशि नगद न दी जाकर ऋण वसूली की मासिक किश्त में समायोजित की जायेगी ।

6.3.2 **बीमा की राशि :-** वाहन के कम्प्रेहेसिव बीमा की राशि, जो वाहन की लागत के 2.5 प्रतिशत से अधिक नहीं हो, शासन द्वारा भुगतान की जायेगी। यदि बीमा की वार्षिक किश्त की राशि उक्त सीमा से अधिक देय हो तो अन्तर की राशि अधिकारी को स्वयं वहन करनी होगी। इस राशि का भुगतान प्रति वर्ष अप्रैल में किया जायेगा।

'उपरोक्त पैरा-6 अन्तर्गत दर्शाई गई राशियों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के भत्तों/व्यय की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा नहीं की जायेगी।

(7) भुगतान की प्रक्रिया :-

7.1 वाहन से संबंधित परिचालन व्यय, निश्चित व्यय की प्रतिपूर्ति तथा ऋण/ब्याज की गणना व उसकी वापसी से संबंधित प्रक्रिया व लेखा संधारण के बारे में वित विभाग द्वारा अलग से आदेश जारी किये जायेंगे ।

(8) ऋण स्वीकृति की पात्रता :-

8.1 इस योजना के अन्तर्गत ऋण स्वीकृति के लिये पात्रता उन्हीं अधिकारियों को होगी जिनका उल्लेख पैरा- 3.1 में किया गया है। जिन अधिकारियों की सेवानिवृति में 3 वर्ष से कम अवधि शेष है, उन्हें इस योजना के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।

8.2 **द्वितीय वाहन हेतु अग्रिम :-** इस योजना का विकल्प देने वाले अधिकारी को वाहन अग्रिम प्राप्त करने के दिनांक से 6 वर्ष की अवधि तक पुनः वाहन अग्रिम की पात्रता नहीं होगी। छः वर्ष की अवधि के पश्चात् द्वितीय वाहन अग्रिम के लिए पुनः आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है, परन्तु इसके पूर्व इस योजना अन्तर्गत प्राप्त किये गये वाहन अग्रिम की बकाया राशि ब्याज सहित वापस करना अनिवार्य होगा ।

8.3 जिन अधिकारियों के पास स्व-वाहन योजना लागू होने के दिनांक के पूर्व से स्वयं का वाहन हैं तथा जिन्होंने शासन से ऋण लेकर वाहन क्रय किया है वे भी इस योजना का विकल्प ले सकते है। इन अधिकारियों को परिचालन/संधारण व्यय की प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी, निश्चित व्यय की प्रतिपूर्ति योजना का विकल्प लेने के दिनांक से होगा।

8.4 जिन अधिकारियों के पास स्वयं का वाहन है और जिन्होंने वाहन के लिए शासन से ऋण प्राप्त नहीं किया है वे भी योजना का विकल्प लेकर इसमें शामिल हो सकते हैं, परन्तु उसमें निश्चित व्यय की प्रतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी।

(९) नम्बर प्लेट:-

9.1 शासन की यह मान्यता है कि योजना का विकल्प देकर इसमें शामिल होने वाले अधिकारियों को विभिन्न बैठकों, समापनों और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ऐसे स्थलों पर जाना पड़ सकता है जहां सुरक्षा संबंधी प्रतिबंध प्रभावशील हों और वाहन की पार्किंग प्रतिबंधित हो। राज्य शासन उक्त बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुए इस योजना के अन्तर्गत क्रय किये गये वाहनों की नम्बर प्लेट पर ''जी'' अक्षर प्रयोग करने की अनुमति प्रदान करता है। इस संबंध में परिवहन विभाग से पृथक से निर्देश जारी किये जायेंगे। यह अनुमति केवल उस अवधि तक प्रभावशील रहेगी जब तक वाहन का उपयोग इस योजना के अन्तर्गत किया जाता रहेगा, उसके पश्चात् इस अनुमति की प्रभावशीलता स्वयमेव समाप्त मानी जायेगी ।

10. प्रतिनियुक्ति की अवधि :-

जिस अवधि में शासकीय अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हो उस अवधि का नियमन निम्नानुसार किया जायेगा :-

10.1 राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रमों, विश्वविद्यालय, स्थानीय निकायों, जिला पंचायत आदि में प्रतिनियुक्ति के दौरान अधिकारी इस योजना के तहत सेवारत माना जायेगा। प्रतिनियुक्ति की अवधि में यदि किसी अधिकारी द्वारा शासकीय वाहन का प्रयोग किया जाता है तो उस अवधि में परिचालन/संधारण व्यय की प्रतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी ।

10.2 केन्द्र शासन में प्रतिनियुक्ति के दौरान इस योजना में शामिल अधिकारी को परिचालन/संधारण व्यय की प्रतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी ।

11. यह योजना राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगी। उपरोक्त पैरा-7 एवं पैरा-9 के अन्तर्गत विस्तृत निर्देश क्रमशः वित्त एवं परिवहन विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे।

(अधिसूचना क्र. 327/नि/वित्त/चार/264 दिनांक 28.5.2001)

विषय:- ''स्व-वाहन-सुविधा योजना'' के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गए ऋण, वसूली व लेखा संधारण के संबंध में अनुवर्ती निर्देश ।

संदर्भ:- छत्तीसगढ़ शासन का परिपत्र क्रमांक 325 दिनांक 28-5-2001 एवं अधिसूचना क्रमांक 327 दिनांक 28-5-2001 के पैरा 7 के संदर्भ में।

राज्य शासन द्वारा शासकीय कार्य में अधिकारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि करने एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता लाने की दृष्टि से संदर्भित अधिसूचना प्रकाशन दिनांक 1 जून, 2001 से ''स्व-वाहन सुविधा योजना'' प्रारंभ की है।

उक्त योजना के अन्तर्गत शासकीय अधिकारियों को वाहन क्रय करने के लिये ऋण उपलब्ध कराने, उसकी वसूली व लेखा संधारण के लिये निम्नानुसार अनुवर्ती निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. **योजना में विकल्प एवं आवेदन**

अधिसूचना के पैरा 3.1 में वर्णित अधिकारियों को वाहन ऋण हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन तथा योजना को स्वीकार करने के लिए निम्नानुसार विकल्प देना होगा:-

(i) ऐसे अधिकारी, जिनके पास कोई निजी मोटर वाहन नहीं है, उन्हें योजना का चयन करने के लिए संलग्न प्रपन्न-1 में विकल्प देना होगा।

(ii) ऐसे अधिकारी जिन्होंने पूर्व में शासन से ऋण प्राप्त कर वाहन खरीदा है तथा वे जो योजना में शामिल होना चाहते हैं उन्हें संलग्न प्रपत्र-2 में विकल्प देना होगा।

(iii) ऐसे अधिकारी जिन्होंने स्वयं के साधनों अथवा किसी अन्य संस्था से ऋण प्राप्त कर वाहन क्रय किया है तथा वे इस योजना में शामिल होना चाहते हैं उन्हें संलग्न प्रपत्र-3 में विकल्प देना होगा।

(iv) वाहन ऋण हेतु आवेदन वित्त संहिता के प्रपन्न-27 पर प्रस्तुत किया जायेगा।

(V) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी आवेदन व विकल्प अपने विभागाध्यक्ष को एवं यदि वे स्वयं विभागाध्यक्ष हैं तो आवेदन सीधे मूल प्रशासकीय विभाग को दे सकेंगे। राज्य सेवा के अधिकारी आवेदन व विकल्प विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपने मूल प्रशासकीय विभाग को भेजेंगे।

(vi) विभागाध्यक्ष संबंधित आवेदन व विकल्प प्राप्त होने पर संलग्न प्रपत्र-4 में अपनी अनुशंसा के साथ प्रस्ताव स्वीकृतकर्ता प्रशासकीय विभाग को अग्रेषित करेंगे।

2. **स्वीकृति**

(i) इस योजना के अन्तर्गत नये वाहन ऋण की स्वीकृति के लिये निर्धारित प्रपत्र में आवेदन एवं विकल्प प्राप्त होने पर प्रशासकीय विभाग वाहन की कीमत अथवा तीन लाख रुपये, जो भी कम हो, स्वीकृत कर सकेंगे। परिचालन व्यय एवं निश्चित व्यय की स्वीकृति अधिकारी द्वारा वाहन क्रय करने की सूचना प्राप्त होने, संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने एवं अनुबंध निष्पादित करने के अलावा शासकीय वाहन को समर्पित करने की तिथि से दी जा सकेगी ।

(ii) जिन अधिकारियों द्वारा पूर्व से ही शासकीय ऋण प्राप्त कर वाहन खरीदे गये हैं उन्हें परिचालन व्यय एवं निश्चित व्यय की स्वीकृति उनके द्वारा शासकीय वाहन समर्पित करने, विकल्प देने एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने के उपरांत किया जा सकेगा।

(iii) जिन अधिकारियों के स्वयं के वाहन हैं अथवा जिन्होंने अन्य संस्थाओं, बैंक आदि से ऋण प्राप्त कर वाहन क्रय किये हैं उन्हें योजना में शामिल होने का विकल्प देने एवं शासकीय वाहन समर्पित करने के दिनांक से केवल परिचालन व्यय की पात्रता

नियम 8.4 के अन्तर्गत होगी। परंतु इस योजना के लागू होने के बाद शासन की सहमति से बैंक अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने की स्थिति में उन्हें भी पैरा 2 (1) के अनुसार निश्चित व्यय की भी पात्रता होगी।

(iv) निलंबन अवधि में परिचालन व्यय देय नहीं होगा।

(v) अधिकारी द्वारा किसी माह में 15 दिन से अधिक अवकाश का अथवा बाह्य प्रशिक्षण का उपभोग करने पर परिचालन व्यय को उक्त अवधि में अनुपातिक रूप से कम किया जाकर भुगतान किया जायेगा।

(vi) केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति की स्थिति में परिचालन व्यय/निश्चित व्यय का भुगतान स्थगित रहेगा। अधिकारी द्वारा राज्य शासन की सेवा में लौटने पर पुनः योजना के अनुसार परिचालन व्यय/निश्चित व्यय भुगतान की पात्रता होगी।

(vii) राज्य के भीतर अथवा सार्वजनिक उपक्रम/निकायों में प्रतिनियुक्ति की स्थिति में अधिकारी द्वारा नियम 10.1 के अनुसार इस योजना के वरण का उल्लेख प्रतिनियुक्ति शर्तों में किया जायेगा एवं वह योजना के अनुसार प्रतिनियुक्त विभाग से परिचालन व्यय/निश्चित व्यय प्राप्त करने का पात्र होगा।

3. वाहन ऋण से संबंधित वित्त संहिता भाग-1 के अन्य उपबंधं इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण पर भी लागू होंगे केवल वाहन ऋण की राशि की निर्धारित सीमा संबंधी प्रावधान तीन लाख रुपये तक स्वीकृत करने की सीमा तक शिथिल माने जायेंगे । स्वीकृति संबंधी आदेश प्रारूप संलग्न प्रपत्र-5 के अनुसार जारी किया जायेगा । मासिक परिचालन व्यय में पेट्रोल/डीजल की निर्धारित सीमा तक कुल देय राशि क्रय मूल्य की वर्तमान दर के आधार पर स्वीकृत की जा सकेगी । पेट्रोल की दर खाद्य नियंत्रक द्वारा रायपुर व बिलासपुर शहर के लिये प्रमाणित की जायेगी ।

4. परिचालन व्यय एवं निश्चित व्यय का भुगतान

(i) मरम्मत व्यय की राशि अप्रैल माह में अथवा प्रतिमाह के अनुपात से देने की पात्रता होगी। ऐसे अधिकारी जिनके द्वारा अप्रैल माह के बाद वाहन क्रय किये हैं अथवा योजना में शामिल हुये हैं उन्हें संबंधित माह से ही अनुपातिक राशि देय होगी।

(ii) वाहन के बीमा की राशि नियम 6.3.2 के अनुसार वाहन की कीमत का 2.5 प्रतिशत या वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति प्रस्तुत किए गए प्रीमियम व्हाउचर के आधार पर देय होगी ।

(iii) वाहन का अवक्षयन के लिये शासन द्वारा नियम 6.3.1 के अनुसार वाहन की क्रय कीमत का 10 प्रतिशत (बिना वैकल्पिक उपकरणों के) अथवा 30 हजार रुपये, जो भी कम हो देय होगा जिसे नगद में न दिया जाकर मूल ऋण एवं ब्याज वापिसी की मासिक किश्तों में समायोजित किया जायेगा।

(iv) पैरा 1.2 एवं 1.3 के अनुसार योजना में शामिल वाहन के मामलों में अवक्षयन राशि की गणना वाहन क्रय के दिनांक से उस अवधि तक की जाएगी जब क्रय दिनांक से 10 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाए।

5. ऋण एवं ब्याज वसूली

(i) इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण की वसूली अधिकारी के वेतन देयक से वित्त संहिता भाग एक में विद्यमान उपबंधों के अनुसार की जायेगी।

मूल किश्त एवं ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाकर कुल वार्षिक किश्त को प्रथमत: अवक्षयन भत्ता जिन अधिकारियों को देय है उसकी ऋण किश्त से समायोजित कर शेष राशि मासिक किश्तों में वसूली योग्य होगी।

(ii) जिन अधिकारियों से सेवा में रहते हुये कुल ऋण एवं ब्याज की वसूली नहीं हो सके उनके ऊपर बकाया ऋण एवं ब्याज उनके सेवानिवृति उपदान अथवा उनकी सहमति से सेवानिवृति के समय मिलने वाले अन्य स्वत्वों से की जायेगी ।

(iii) इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत अग्रिम की वापसी हेतु मूल ऋण एवं ब्याज को पूर्व में मोटर गाड़ियों के लिए दिये जाने वाले अग्रिम की तरह ही वर्गीकृत कर वसूली की जाएगी, परन्तु उक्त प्रयोजन हेतु प्रयुक्त अनुसूची में शीर्ष के नीचे ''शासकीय अधिकारियों को POCS योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण की वसूली'' अथवा ''शासकीय अधिकारियों को POCS योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण पर देय ब्याज की वसूली'' यथा स्थिति अंकित की जाएगी।

6. अतिशेष वाहनों का निराकरण

(i) ''स्व-वाहन सुविधा योजना'' में शामिल अधिकारियों की योजना में शामिल होने के दिनांक से उन्हें आवंटित शासकीय वाहनों को समर्पित करना होगा। यदि वाहन की हालत ठीक है, तो विभागाध्यक्ष ऐसे वाहनों को मैदानी वाहनों से बदल कर सबसे पुराने वाहन को अधीक्षक, स्टेट गैरेज को समर्पित करेंगे ।

(ii) अधीक्षक, स्टेट गैरेज द्वारा ऐसे निष्प्रयोज्य होने वाले वाहनों को दो माह के भीतर नीलाम कर राशि कोषालय में जमा कराई जायेगी ।

(iii) वाहन चालक के पद पर कार्यरत अतिशेष वाहन चालकों को विभाग में समायोजित न होने की स्थिति में सामान्य प्रशासन को समर्पित किया जायेगा।

(iv) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ऐसे वाहन चालकों को विभिन्न विभागों के मैदानी कार्यालयों से प्राप्त मांग के आधार पर संबंधित विभाग में संविलयन हेतु भेजा जा सकेगा या वाहन चालकों की अन्यत्र समकक्ष पदों पर योग्यतानुसार पदस्थ किया जा सकेगा।

(v) जब तक ऐसे वाहन चालकों का अन्य विभाग में संविलयन कर पदस्थापना नहीं की जाती तब तक संबंधित विभाग द्वारा इनके वेतन भुगतान की व्यवस्था की जायेगी ।

(vi) अधीक्षक, स्टेट गैरेज द्वारा अतिशेष वाहनों के अपलेखन, नीलामी व शासकीय खजाने में जमा राशि का लेखा रखने के लिये प्रपत्र-6 में एक पंजी संधारित की जायेगी। जिसके आधार पर मासिक प्रपत्र आगामी माह की 10 तारीख तक वित्त विभाग को भेजा जायेगा।

7. अन्य

7.1 योजना में शामिल अधिकारी को अपना वाहन हर समय चालू हालत में रखना होगा जिसके लिये प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल तक संलग्न प्रपत्र-7 में प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा ।

(i) इस योजना के अन्तर्गत बजट आवंटन प्रशासकीय विभाग की मांग के आधार पर वित्त विभाग द्वारा पृथक से उपलब्ध कराया जायेगा ।

(ii) इस योजना के तहत धारित वाहन से अधिकारी नियम 6.2.3 के अन्तर्गत मील भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे परन्तु दौरे की अवधि में (12 घंटे से अधिक मुख्यालय से बाहर रहने पर) प्रतिमाह परिचालन व्यय के रूप में देय पेट्रोल/डीजल की राशि अनुपातिक रूप से कम की जायेगी।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

(छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक 17/327/नि/वित्त/चार/2001 दिनांक 30-06-2001 (पैरा 1.1)

प्रपत्र-1

मैं... (नाम व पद नाम) एतद द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 325/नियम/वित्त/चार/2001, दिनांक 28-5-2001 द्वारा लागू "स्व वाहन सुविधा योजना" के अन्तर्गत मोटर वाहन क्रय हेतु शासकीय ऋण सुविधा तथा पात्रतानुसार परिचालन व्यय एवं निश्चित व्यय की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु विकल्प देता/देती हूँ।

मैं एतद् द्वारा वर्तमान में आवंटित शासकीय वाहन क्रमांक .... शासन को समर्पित करने तथा योजना की कण्डिका 5.1 की शर्तों के अधीन कंडिका 5.2 में उल्लिखित पदों को छोड़कर अपने वर्तमान पद एवं भविष्य में धारित पदों की धारण अवधि में योजना में शामिल रहने की अवधि तक शासकीय वाहन सुविधा का उपयोग न करने की घोषणा भी करता / करती हूँ।

साक्षी :- आवेदक..

नाम.................................. हस्ताक्षर..

.... नाम एवं पद ....

पता..............................

स्थान..............................

दिनांक..............................

''स्व वाहन सुविधा योजना''

(छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक 17/327/नि/वित्त/चार/2001
दिनांक 30-06-2001 पैरा 1.ii)

प्रपत्र-2

मैं ....एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं एक मोटर वाहन.........................(पंजीयन क्रमांक एवं मेक) का धारक हूँ, जिसका क्रय............... (विभाग का नाम) के आदेश क्रमांक................दिनांक...........................द्वारा स्वीकृत शासकीय मोटर कार अग्रिम '......................... से किया गया है। वाहन का मूल्य रु....... .... है।

मैं छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 325/नियम/वित्त/चार/2001, दिनांक 28-5-2001 के तहत स्वीकृत वाहन अग्रिम के मूलधन/ब्याज की मासिक किश्तों में निश्चित व्यय के समायोजन की शर्तो के अधीन दिनांक......................... से परिचालन व्यय एवं निश्चित व्यय की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु विकल्प देता/देती हूँ।

मै वर्तमान में आवंटित शासकीय वाहन क्रमांक . . . . को शासन को समर्पित करने तथा कण्डिका 5.2 में उल्लिखित पदों को छोड़कर अपने वर्तमान पद एवं भविष्य में धारित पदों की धारण अवधि में योजना में शामिल रहने की अवधि तक शासकीय वाहन सुविधा का उपयोग न करने की घोषणा भी करता/करती हूँ।

हस्ताक्षर ....
नाम व पद...........................

''स्व वाहन सुविधा योजना''

(छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक 17/327/नि/वित्त/चार/2001
दिनांक 30-06-2001 पैरा 1.iii)

प्रपत्र-3

मैं .... मोटर वाहन ....का धारक हूँ जिसका पंजीयन क्रमांक ....है,

एतद द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 325/नियम/वित्त/चार/2001 दिनांक 28-5-2001 की शर्तो के अनुसार दिनांक....................से परिचालन व्यय प्राप्त करने का विकल्प देता/देती हूँ।

मैं वर्तमान में आवंटित शासकीय वाहन क्रमांक ....शासन को समर्पित करने तथा कंडिका 5.2 में उल्लिखित पदों को छोड़कर अपने वर्तमान पद एवं भविष्य में धारित पदों की धारण अवधि में योजना में शामिल रहने की अवधि तक शासकीय वाहन सुविधा का उपयोग न करने की घोषणा भी करता/करती हूँ ।

साक्षी......................................

हस्ताक्षर......................................	हस्ताक्षर..
नाम......................................	नाम..
पता......................................	पदनाम ....
दिनांक......................................	दिनांक..

''स्व वाहन सुविधा योजना''

(छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक 17/327/नि./वित्त/चार/2001 दिनांक 30-06-2001 पैरा 1.vi)

प्रपत्र-4

(विभागाध्यक्ष का प्रमाणपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... द्वारा 'स्व वाहन सुविधा योजना' के अनुसार वाहन अग्रिम हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में दी गई जानकारियां कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार सही हैं।

उनके द्वारा 'स्व वाहन सुविधा योजना के अन्तर्गत वाहन अग्रिम हेतु प्रस्तुत किया गया यह प्रथम आवेदन है।

अथवा

पूर्व में उन्हें इस योजना के अन्तर्गत दिनांक............को अग्रिम स्वीकृत किया गया था, जिसकी ब्याज सहित वसूली हो चुकी है, तथा अग्रिम के आहरण से छ: वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है।

अत: आवेदक स्व वाहन सुविधा योजना के अन्तर्गत पुन: वाहन क्रय हेतु वाहन अग्रिम की पात्रता रखता/रखती है ।

नोट- जो लागू न हो उसे काट देवें।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर

नाम ....

पदनाम..

प्रपत्र-5

छत्तीसगढ़ शासन

विभाग

क्रमांक

प्रति,

....

....

विषय - 'स्व वाहन सुविधा योजना के अन्तर्गत मोटर वाहन क्रय अग्रिम स्वीकृति हेतु वर्ष...........।

वित्त संहिता भाग- 1 के नियम 251-264 में वर्णित प्रावधान एवं छत्तीसगढ़ शासन, वित विभाग द्वारा जारी ''स्व वितीय योजना'' संबंधी नियम जो अधिसूचना क्रमांक 327 दिनांक 28-5-2001 एवं परिपत्र क्रमांक 325 दिनांक 28-5-2001 के द्वारा प्रकाशित हैं एवं उक्त नियमों के अन्तर्गत जारी

अनुवर्ती निर्देश वित विभाग क्रमांक 17/327/नि/वित्त/चार/2001 दिनांक 30-06-2001 के अनुसार श्री .... पद .... की मोटर वाहन क्रय करने के लिये रुपये .... (................) क्रय करने की स्वीकृति दी जाती है।

2. अग्रिम पर 11% वार्षिक की दर से साधारण ब्यांज देना होगा ।

3. अग्रिम की वसूली ब्याज की राशि को शामिल करते हुए रुपये .... प्रतिमाह मूल एवं ब्याज मिलाकर (..................) किश्तों (अधिकतम 120) में की जावेगी।

4. अग्रिम स्वीकृति की शर्तें निम्नानुसार है :-

(i) अग्रिम केवल अधिकृत विक्रेता से नई वाहन क्रय करने हेतु दिया जायेगा ।

(ii) अग्रिम की राशि के आहरण के पूर्व वाहन विक्रेता से लिखित में यह आश्वासन प्राप्त किया जाय कि वह वाहन का प्रदाय एक माह की अवधि में करेगा । राशि आहरण के पूर्व प्रपत्र 16 में करारनामा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(iii) राशि आहरण की वैधता दिनांक............. तक होगी । वाहन का क्रय, राशि आहरण के एक माह के भीतर अनिवार्य रूप से करना.होगा, बशर्ते कि शासन द्वारा उक्त अवधि में वृद्धि नहीं की गई हो ।

(iv) वित्तीय संहिता भाग-2 में निर्धारित प्रपत्र 16 तथा 17 क्रमश% में करारनामा एवं बन्धक पत्र छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के पक्ष में निष्पादित किया जाकर इस विभाग की फोटो प्रतियां भेजी जायें । प्रपत्र में किये गये समस्त सुधार पूर्ण हस्ताक्षर से सत्यापित होने चाहिए।

(v) यदि वाहन का मूल्य अगिम्र की राशि से कम हो तो अवशिष्ट धनराशि तुरंत शासन को वापस कर इस विभाग को सूचित किया जाना चाहिए।

(vi) क्रय किये गये वाहन का बीमा न केवल स्वामी द्वारा चलित निबंधों पर किया जाय परन्तु समग्र जोखिम हेतु वाहन क्रय की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर बीमा करवाया जाय ।

(vii) अग्रिम की वापसी आहरण से आगामी माह से प्रारंभ की जायेगी तथा मूल अग्रिम शीर्ष...................... में जमा किया जायेगा व ब्याज वापसी की शीर्ष .... में जमा किया जायेगा।

(viii) यदि अग्रिम का आाहरण दिनांक................तक नहीं किया जाता है तो राशि तुरंत समर्पित कर दी जाय ।

(ix) वाहन क्रय के उपरांत मूल रसीद एवं बीमा पालिसी अपने स्तर से परीक्षण कर इस विभाग को भेजें, जो अवलोकन उपरांत वापस कर दिया जायेगा ।

(3) उक्त अग्रिम धनराशि का भुगतान मांग संख्या .... शीर्ष .... ऋण तथा अग्रिम......................स्व वाहन सुविधा योजना के अन्तर्गत स्वीकृत प्रावधान के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

हस्ता.
स्वीकृतकर्ता अधिकारी

प्रतिलिपि :-

(i) महालेखाकार, (छत्तीसगढ़ प्रकोष्ठ) ग्वालियर ।

(ii) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग की सूचनार्थ ।

(iii) आहरण एवं संवितरण अधिकारी................ कार्यालय................ को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(iv) कोषालय अधिकारी, कोषालय...................... को सूचनार्थ ।

(v) संबंधित अधिकारी श्री..............को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(vi) कार्यालयीन प्रति।

(vii) संबंधित अधिकारी के व्यक्तिगत फोल्डर में रखने हेतु ।

''स्व वाहन सुविधा योजना''

(छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक 17/327/नि./वित्त/चार/2001 दिनांक 30-06-2001 पैरा 6-vi)

प्रपत्र-6

(समर्पित अतिशेष वाहनों की पंजी)

सरल क्रमांक	अधिकारी का नाम व पदनाम	विभाग का नाम	समर्पित वाहन का पंजीयन क्रमांक व माडल	समर्पण तिथि को वाहन की आयु	वाहन द्वारा तय की गई दूरी
1	2	3	4	5	6

क्या वाहन अपलेखन योग्य है	नीलामी हेतु निर्धारित आफसेट प्राईस	स्वीकृत नीलामीकार का नाम	नीलाम की राशि	राशि कोषालय में जमा करने का चालान क्रमांक एवं दिनांक	अभ्युक्ति
7	8	9	10	11	12

''स्व वाहन सुविधा योजना''

(छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक 17/327/नि/वित्त/चार/2001 दिनांक 30-06-2001 पैरा 7.1)

(अप्रैल माह में कार्यालय में देय)

प्रपत्र-7

''स्व-वाहन सुविधा योजना'' के अन्तर्गत वाहन पंजीयन क्रमांक ....मॉडल .... वर्ष ....मेरे द्वारा शासकीय कार्य हेतु उपयोग में लाया जा रहा है तथा वाहन पूरी तरह से चालू हालत में है। वर्ष में मेरे द्वारा स्वयं के वाहन के अलावा पूल वाहन व अन्य शासकीय वाहन का उपयोग नहीं किया है।

स्थान............................

दिनांक...........................

हस्ताक्षर

नाम अधिकारी.......................................

पदनाम..